मध्यप्रदेश शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2019–20

पशुपालन विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मंत्रालय

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
मान. मंत्री पशुपालन	माननीय श्री		
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	श्री के.के.सिंह	2441607	2440032
अपर मुख्य सचिव	श्री जे.एन.कंसोटिया	2558263	2431910
उप सचिव	श्री जेड.यु.शेख	2573904	2972828
अवर सचिव	श्रीमती कलिस्ता कुजुर	2512023	—

विभागाध्यक्ष

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
संचालक पशुपालन	डा0 आर0के0 रोकड़े	2772262	2765340
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	श्री शमीम उद्दीन	2602145	—
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	डा0एच.बी.एस. भदौरिया	2776086	2980223
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	डा0 आर0के0 रोकड़े	2776310	2765340

विषय सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
एक	1.1 विभागीय संरचना	1
	1.2 अधीनस्थ कार्यालय	2
	1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम मण्डलों का विवरण	2
	1.4 विभाग का उद्देश्य	3
	1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	3
	1.6 तकनीकी कार्य	3
	1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन	4
	1.8 मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति	5
	1.9 नस्ल सुधार	5–10
	1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10–12
दो	**बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान एवं व्यय**	13
तीन	**राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**	14
	3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं	14–20
	3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार	21
	3.3 पशु संजीवनी 1962	21
	3.4 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना	21
	3.5 पशु आश्रय स्थल आसरा	22
	3.6 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	22
	3.7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	22–32
चार	**शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र/कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र**	33
	4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	33
	4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	33
	4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	34
	4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य	34–35
पांच	**सामान्य प्रशासनिक जानकारी**	36–38
छः	**विभागीय उपलब्धियां**	39
	6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां	39–40

सात	**विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियां**	41
	7.1 म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	41–42
	7.2 एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	43–45
	7.3 म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	45–47
	7.4 पशु रोगी कल्याण समिति	47–48
	7.5 पशु क्रूरता निवारण समिति	48
	7.6 मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	48
आठ	**परिशिष्ट एक –जिलेवार 19वीं पशु संगणना 2012 के आंकड़े**	49–50
	परिशिष्ट दो – 20वीं पशु संगणना में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी	51
	परिशिष्ट तीन– देश में राज्यों के अनुमानित पशु उत्पाद दूध, अंडा, ऊन एवं मांस की जानकारी (वर्ष 2018–19)	52
	परिशिष्ट चार –जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा,ऊन एवं मांस की जानकारी (वर्ष 2018–19)	53–54
	परिशिष्ट पांच– 19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार प्रजनन योग्य गौ–भैंस (मादा पशु) की जानकारी	55–56
	परिशिष्ट छः – 19वीं पशु संगणना 2012 अनुसार म.प्र. में प्रति पशु चिकित्सा संस्थाओं पर पशुधन स्थिति (2019–20 की स्थिति में)	57–58

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

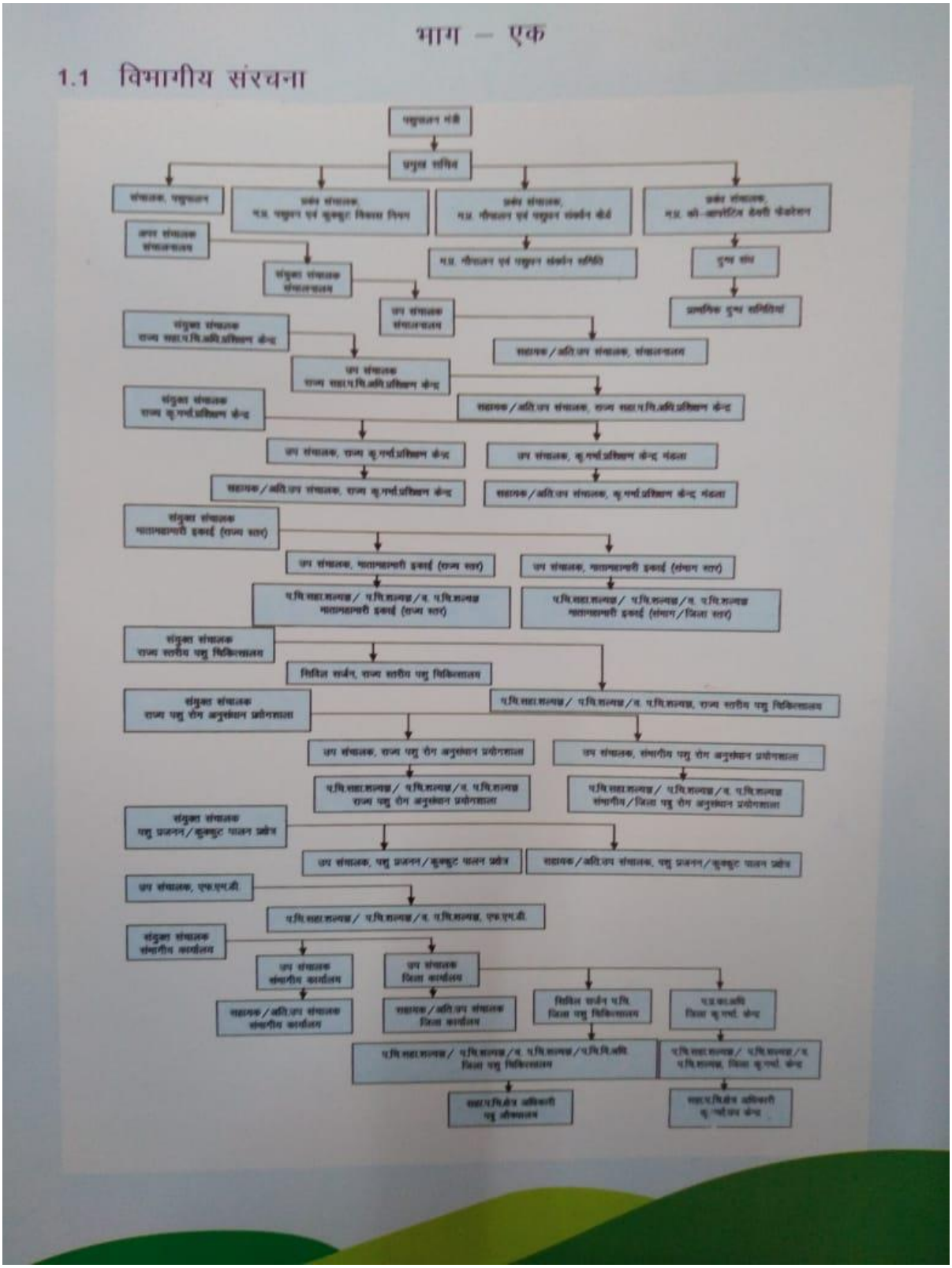

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) संचालनालय पशुपालन,

(ii) पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महू जिला इन्दौर,

(iii) संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, समस्त संभाग,

(iv) उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं समस्त जिले,

(v) राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भोपाल,

(vi) माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम म0प्र0, भोपाल,

(vii) मुँहखुरी रोग व्यापकी इकाई, भोपाल,

(viii) कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/मंडला,

(ix) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी,

(x) राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल,

(xi) जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)

(xii) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़) आगर (मालवा) रोड़िया (खरगौन), इमलीखेड़ा (छिंदवाड़ा), गढ़ी (बालाघाट), पवई (पन्ना),

(xiii) बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर), मिनौरा (टीकमगढ़), चिनकी उमरिया (नरसिंहपुर)

(xiv) भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी), मिनौरा (टीकमगढ़),बांसाखेड़ी (मंदसौर)

(xv) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल,

(xvi) कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/शहडोल/छिंदवाड़ा/झाबुआ/गुना/सागर,

(xvii) कुक्कुट प्रशिक्षण विद्यालय, रीवा

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम/मंडलों/ परिषद्/ संस्थानों का विवरण

1.3.1 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,

1.3.2 मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

1.3.3 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,

1.3.4 म0प्र0पशु चिकित्सा परिषद,

1.3.5 नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

1.4 विभाग का उद्देश्य

पशुपालन विभाग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुॅचाना है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1 नवम्बर, 1956 को मध्यप्रदेश के गठन उपरान्त 20 मई,1962 को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही पृथक से संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं स्थापित किया गया। वर्ष 1981में पशुपालन विभाग को कृषि विभाग से पृथक करते हुए स्वतंत्र रुप से अस्तित्व में लाया गया। 4 फरवरी 2011से संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं का नाम परिवर्तन कर संचालनालय, पशुपालन किया गया है।

1.5.1	प्रदेश का कुल क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर में)	308
1.5.2	प्रदेश की कुल जनसंख्या (लाख में) जनगणना 2011	726
1.5.3	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल पशुधन संख्या (लाख में)	406.22
1.5.4	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल गौवंशीय पशु (लाख में)	187.35
1.5.5	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल भैंसवंशीय पशु (लाख में)	103.07
1.5.6	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल भेड़ा–भेड़ी पशु (लाख में)	3.24
1.5.7	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल बकरा–बकरी पशु (लाख में)	110.65
1.5.8	प्रदेश में 20वीं पशु संगणना अनुसार कुल कुक्कुट (लाख में)	166.60

1.6 तकनीकी कार्य

1.6.1 पशु चिकित्सा सेवाएं अन्तर्गत पशु रोगों की रोकथाम तथा उसका उपचार,

1.6.2 पशु रोग अन्वेषण,

1.6.3 टीकाकरण,

1.6.4 बधियाकरण,

1.6.5 पशुपालन अन्तर्गत समग्र पशुधन का संरक्षण/ संवर्धन एवं विकास,

1.6.6 समुन्नत प्रजनन,

1.6.7 पशुपालन विस्तार सेवा,

1.6.8 पशुधन विकास कार्यो का पर्यवेक्षण,

1.6.9 कुक्कुट पालन, प्रजनन, संवर्धन,

1.6.10 दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, अण्डों, मांस की जांच गुणवत्ता नियंत्रण,

1.6.11 डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास सॉख्यिकी,

1.6.12 सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो,

1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन

1.7.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, संभागीय पॉलीक्लिनिक, जिला/ विकासखण्ड/ ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चल चिकित्सा इकाई, चल विरूजालय, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड योजना, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई, रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं एवं टीकाद्रव्य उत्पादन हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महूँ जिला इन्दौर में संचालित है। पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा पशु उपचार, औषधि वितरण, टीकाकरण, नमूनों की जांच आदि से की जाती है। पशुओं का उपचार न केवल पशु चिकित्सालयों व पशु औषधालयों में किया जाता है बल्कि चल पशु चिकित्सा इकाई/ विरुजालय व पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके भी किया जाता है। 1962 पशुसंजीवनी द्वारा घर पहुँच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.7.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समसामयिक टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार विन्दुओं पर ब्लू प्रिंट तैयार किए जाते हैः–

1.7.2.1 ऐसे ग्रामों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के समस्त पशु जहॉ गत् तीन वर्षों में किसी संक्रामक रोग का उद्भेद हुआ हो।

1.7.2.2 ग्वारियों में जाने वाले पशु।

1.7.2.3 प्रदेश के बाहर आवागमन मार्गो से आने–जाने वाले पशु।

1.7.2.4 पशु बाजार में बाहर से आने वाले पशु।

1.7.2.5 वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्रामों के पशु।

1.7.3 संक्रामक रोगों में मुंहपका खुरपका रोग(एफ.एम.डी),एकटंगिया अथवा चुरकारोग (बी.क्यू), गलघोंटू अथवा घटसर्प रोग (एच.एस.) छड़ (एंथ्रेक्स), पी.पी.आर. स्वाईन फीवर, एंट्रोटोक्सिमिया, रैबीज, रानीखेत (कुक्कुट), फाउलपॉक्स (कुक्कुट), स्पाईरोकीटोसिस (कुक्कुट), मैरेक्स (कुक्कुट), गंबोरो (कुक्कुट) का टीकाकरण किया जाता है।

1.7.4 प्रदेश में पशु संसर्गजन्य रोगों (contagious) के रोकथाम हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महूँ जिला इन्दौर में चार प्रकार के जीवाणु टीके, दो प्रकार के टिशू कल्चर (विषाणु) टीके तथा तीन प्रकार के टीका घोलकों का उत्पादन किया जाता हैं। मुंहपका, खुरपका, रेबीज व पी. पी. आर. रोग को छोड़कर समस्त संक्रामक रोगों के टीकाद्रव्य का उत्पादन इस संस्थान में किया जाता है।

1.7.5 यह संस्थान प्रदेश में टीकाद्रव्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को भी आवश्यकतानुसार टीकाद्रव्य प्रदाय किया जाता है एवं विशेष परिस्थितियों में देश के अन्य राज्यों को भी टीकाद्रव्य उपलब्ध कराया जाता है।

1.8 मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति

प्रदेश की कृषि क्षेत्रक गतिविधियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन में पशुपालन के महत्व के दृष्टिगत पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011 तैयार की गई है। पशुधन विकास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं

1.8.1 विभिन्न पशुधन विकास एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए एक समान रणनीति न अपनाते हुए कृषि जलवायु तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.8.2 लघु एवं संसाधन विहीन पशुपालकों को पशुधन उत्पादन वृद्धि में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से कम लागत मूल्य पर अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए हैं ।

1.8.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों का वातावरण में प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे मुद्दों को भी नीति में समाहित किया गया है।

1.8.4 पशुधन क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले की दक्षता उन्नयन संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है ।

1.8.5 पशुधन विकास नीति में सार्वजनिक/निजी/किसान/गैर सरकारी संस्थाओं की साझेदारी को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया है।

1.8.6 पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के विस्तार एवं क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

1.8.7 विभिन्न कार्यक्रमों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों का ध्यान भी नीति में रखा गया है ताकि पशुधन उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण एवं उनका लाभात्मक विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

1.8.8 पशुधन विकास नीति गतिमान स्वरूप की होने के फलस्वरूप समय–समय पर पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप शिथिलता समाहित किए हुए है।

1.9 नस्ल सुधार

प्रदेश में उपलब्ध पशुओं में मुख्यतः अवर्णित नस्ल के पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पशुओं की उत्पादक क्षमता बहुत कम है इनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि के लिए प्रदेश में नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित हैं। इस कार्यक्रम के तहत् कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। प्राकृतिक गर्भाधान में उच्च कोटि के सांडों से मादा पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान में उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम विधि द्वारा मादा पशुओं में गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार उपलब्ध 123.84 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

1.9.1 प्रदेश के देशी वर्णित पशुधन

1.9.1.1 मालवा क्षेत्र के शाजापुर, देवास, इन्दौर, उज्जैन व राजगढ़ जिलों में मालवी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.2 इसी प्रकार निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं।

1.9.1.3 टीकमगढ़ व पन्ना क्षेत्र में केनकथा नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.4 भैंस वंश में भदावरी उत्तरी मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में पाई जाती है जो कि दुग्ध उत्पादन हेतु तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है।

1.9.1.5 मध्यप्रदेश के झाबुआ तथा धार जिले में प्रदेश की महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त कुक्कुट नस्ल कड़कनाथ पाई जाती है। इसके सरंक्षण तथा संवर्धन हेतु विभाग में कड़कनाथ प्रक्षेत्र झाबुआ में संचालित है।

1.9.2 पशु प्रजनन नीति

1.9.2.1 गौवंशीय पशु प्रजनन नीति

प्रदेश के गौ–वंशीय पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं:–

(i) स्थानीय गौ–नस्ल के संरक्षण हेतु नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के शाजापुर, राजगढ़ जिले में मालवी नस्ल से, निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल से एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिला पन्ना व छतरपुर जिले की लौड़ी तहसील में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विशेष अनुसार स्थानीय अवर्णित नस्लों का देशी वर्णित नस्ल से उन्नयन। मुख्यतः गिर, साहीवाल,थारपारकर व हरियाणा नस्ल से।

(iii) शहरी, अर्द्धशहरी, मिल्कशेड व औद्यौगिक क्षेत्र में जर्सी व हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन। सामान्यतः विदेशी रक्त (Exotic Blood Level) का स्तर 50 प्रतिशत तक एवं प्रगतिशील पशुपालकों की इच्छानुसार विदेशी रक्त का स्तर 62.5 प्रतिशत तक।

उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रजनन नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को निम्नलिखित सात जोन में विभाजित किया गया है––

(i) जोन I उत्तरीय नदी घाटी

इस जोन के अन्तर्गत भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर तथा दतिया का अल्प भाग आता है एवं इस जोन में हरियाणा नस्ल की तरह व श्रेणीकृत द्विउद्देशीय गौवंशीय पशु पाए जाते हैं। साधारणतः ये पशु आंशिक स्टाल फीडिंग प्रणाली में पाले जाते हैं। इस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति हरियाणा नस्ल के होम ट्रेक्ट से मिलती जुलती है, अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा। पशुपालकों की मांग पर शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन भी किया जा सकता है।

(ii) जोन I I लैट्रेटिक बेल्ट आफ शिवपुरी

इस जोन के अन्तर्गत शिवपुरी जिला एवं गुना का उत्तरी हिस्सा आता है एवं इस क्षेत्र के गौवंशीय पशु सामान्यतः गहरे लाल रंग के औसत कद काठी के हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं किन्तु इनका दुग्ध उत्पादन कम है। अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी वर्णित नस्ल जैसे हरियाणा, थारपारकर से उन्नयन किया जाएगा। चूँकि शिवपुरी जिला मिल्क शेड में आता है, इसलिए शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जर्सी नस्ल से संकर प्रजनन अनुशंसित है।

(iii) जोन I I I मालवा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, उत्तरी झाबुआ, मंदसौर एवं नीमच जिले आते हैं एवं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्विउद्देशीय गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। इस जोन के अन्तर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील, राजगढ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर तहसील एवं आगर व शाजापुर जिले की आगर एवं शाजापुर तहसील में मालवी नस्ल से चयनित प्रजनन किया जाएगा एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की मांग अनुसार मालवी एवं थारपारकर अथवा गिर नस्ल से उन्नयन तथा शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, एच. एफ. से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(iv) जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट

इस जोन के अन्तर्गत अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील, धार जिले की कुक्षी व मनावर तहसील, जिला खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा जिले की हरदा तहसील तथा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील आती है। इस जोन में गाय की निमाड़ी नस्ल के पशु पाए जाते हैं जो एक भार वाहक नस्ल है। इस जोन के पश्चिम निमाड़–खरगोन व बड़वानी, जिलो में निमाड़ी नस्ल चयनित प्रजनन, पूर्वी निमाड़–खण्डवा, बुरहानपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निमाड़ी नस्ल से चयनित प्रजनन तथा शेष शहरी व मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(v) जोन V पश्चिमी विंध्य पठार व नर्मदा घाटी

इस जोन के अन्तर्गत जिला जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, होशंगाबाद, दमोह जिले की दमोह तहसील, छिंदवाडा जिले की अमरवाडा तहसील तथा सिवनी जिला (कुरई विकास खण्ड छोड़कर) आता है एवं इस जोन क्षेत्र में अवर्णित नस्ल के देशी पशु पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार जोन के ग्रामीण क्षेत्र में थारपरकर नस्ल से उन्नयन तथा मिल्क शेड व शहरी क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, हॉलिस्टिन फ्रिजियन से संकर प्रजनन तथा छत्तीसगढ से जुड़े कुछ क्षेत्रों में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

(vi) जोन VI पूर्वी विंध्य पठार

इस जोन के अन्तर्गत दमोह जिले की हटा तहसील, जबलपुर की मुडवारा तहसील एवं जिला रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा सीधी जिले का उत्तरी क्षेत्र आते हैं एवं इस जोन की केन घाटी में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्र केनकथा नस्ल का होम लैण्ड है। यह नस्ल प्रसिद्ध भारवाहक नस्ल है जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। केनकथा नस्ल के श्रेणीकृत पशु पन्ना जिले से जुड़े हुए छतरपुर के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार केन नदी घाटी के अजयगढ तहसील

के साथ पन्ना में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन, जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन तथा शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

(vii) जोन VII पूर्वी सतपुडा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत जिला बालाघाट एवं सिवनी जिले के लखनादोन तहसील से पूर्वी क्षेत्र की ओर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले तक इस क्षेत्र में देशी अवर्णित नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इस जोन के शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन तथा ग्रामीण क्षेत्र में थारपारकर एवं छत्तीसगढ राज्य से जुडे क्षेत्र में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, नागपुर जिलों से जुडे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट व बैतूल जिलों के चयनित पाकेट में गौलव नस्ल से उन्नयन किया जाना अनुशंसित है।

1.9.2.2 भैंस वंशीय पशु प्रजनन नीति

सामान्यतः प्रदेश में अवर्णित नस्ल के भैंस वंशीय पशु तथा ग्रेडेड मुर्रा पशु पाए जाते हैं। मात्र उत्तरी नदी घाटी के जिला भिण्ड में भदावरी व ग्रेडेड भदावरी भैंस वंशीय पशु पाए जाते हैं।

जोन I–

उत्तरी नदीघाटी के जिला भिण्ड एवं जिले से जुड़े ग्वालियर संभाग के जिलों के चयनित क्षेत्र में भदावरी नस्ल से उन्नयन।

जोन II–

मालवा का पठार एवं ब्रीडिंग जोन **IV** निमाड़ी ट्रेक्ट क्षेत्र के कुछ भाग–दक्षिण पूर्वी गुजरात से जुड़े शहरों के कुछ भाग में जाफरावादी नस्ल से उन्नयन। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष रहे सम्पूर्ण प्रदेश में मुर्रा नस्ल से उन्नयन।

1.9.2.3 छोटे पशुओं की प्रजनन नीति

(i) राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारबरी बकरों की नस्ल से उन्नयन तथा प्रदेश के शेष क्षेत्र में जमनापारी नस्ल से उन्नयन लक्षित है।

(ii) कॉरीडेल, रेम्बोलेट की संकर भेड़ नस्ल से स्थानीय भेड़ों का उन्नयन लक्षित है।

(iii) मिडिल व्हाइट यार्कशायर सूकर नस्ल से स्थानीय सूकरों का उन्नयन लक्षित है।

तालिका 1.1
प्रदेश में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन हेतु संचालित संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय (पॉलीक्लीनिक)	50
3	पशु चिकित्सालय	1013
4	पशु औषधालय	1583
5	चल पशु चिकित्सा इकाई	38
6	चल विरुजालय	27
7	राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	1
8	संभाग स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	7
7	जिला स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	34
8	मुंहखुरी रोगव्यापकी इकाई	1
9	पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद् संस्थान	1
10	सीरम संस्थान	1
11	उप संचालक माता महामारी (राज्य स्तर)	1
12	पशु जांच चौकी	19
13	अनुगामी इकाई	10
14	सतर्कता इकाई	7
15	सघन टीकाकरण इकाई	7
16	रोग शमन दल	2
17	पशु निरोधस्थल (क्वारनटाइन स्टेशन)	1
18	फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन	1
19	फ्रोजन सीमेन बैंक	7
20	मुख्य ग्राम योजना	38
21	मुख्य ग्राम इकाई	380
22	नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम	2
23	नियंत्रित पशु प्रजनन उपकेन्द (खिलचीपुर–25,खरगौन–25)	50
24	स्टेट पैर्टन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	16
25	स्टेट पैर्टन कृत्रिम रेतन उपकेन्द्र	141
26	गहन पशु विकास परियोजना	17
27	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	60
28	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	904
29	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान	2
30	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	1
31	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	1
32	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	3
33	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय	5

तालिका 1.2
पशु स्वास्थ्य रक्षा की विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

कं0	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20
1	पशु उपचार	144.64	152.46	157.66
2	टीकाकरण	422.57	455.53	510.11

.

तालिका 1.3
पशु संवर्धन व उन्नत प्रजनन हेतु विगत तीन वर्षों की जानकारी (लाख में)

कं0	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20
1	कृत्रिम गर्भाधान	26.90	31.03	32.32
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन	9.61	10.57	10.71
3	प्राकृतिक गर्भाधान	6.01	6.78	7.61
4	प्राकृतिक गर्भाधान से वत्सोत्पादन	3.42	3.69	5.25
5	बधियाकरण	10.16	11.04	7.61

1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

भारत विश्व के उन राष्ट्रों में से एक है जिनकी आर्थिकी पशुधन पर निर्भर है व सर्वाधिक गौ व भैंसवंश वाला राष्ट्र है। एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुमानित उत्पादनों के अनुसार वर्ष 2018–19 में देश में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा, अण्डे उत्पादन में बारहवां एवं मांस उत्पादन में चौदहवां स्थान है।

तालिका 1.4

20वीं पशु संगणना 2019 एवं 19वीं पशु संगणना 2012 की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	विवरण	20वीं पशु संगणना 2019	19वीं पशु संगणना 2012	प्रतिशत् वृद्धि / कमी
1	गौवंशीय पशु	1,87,50,828	1,96,02,366	–4.34
2	भैंस वंशीय पशु	1,03,07,131	81,87,989	25.88
3	भेड़ा/भेड़ी	3,24,585	3,08,953	5.06
4	बकरे/बकरियॉ	1,10,64,524	80,13,936	38.07
5	घोड़े/घोड़ियां	13,260	18,803	–29.48
6	खच्चर	2,543	6,989	–63.61
7	गधे	8,135	14,916	–45.46
8	ऊँट	1,753	3,422	–48.77
9	सूअर	1,64,616	1,75,253	–6.07
	कुल पशुधन	**4,06,37,375**	**3,63,32,627**	**11.85**
	कुल कुक्कुट	**1,66,59,898**	**1,19,04,716**	**39.94**

''स्त्रोतः भारत सरकार की 20वीं एवं 19वीं पशु संगणना

तालिका 1.5

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध,अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार ऑकड़े

क्रं	विवरण	वर्ष				
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	दुग्धोत्पादन (000मे.टनमें)	10779	12148	13445	14713	15911
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	11776	14414	16940	19422	21432
3	मांस उत्पादन (000मेंटनमें)	59	70	79	89	97

स्त्रोतः– भारत सरकार की एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

तालिका 1.6

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध, अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता (ग्राम में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक अंडा उपलब्धता (संख्या में)
2014–15	386	15
2015–16	428	19
2016–17	468	22
2017–18	505	24
2018–19	538	26

1.11 विभाग द्वारा प्रसारित अधिनियम व नियम/ नीति :–

(i) मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1950

(ii) मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम,1959 (यथा संशोधित 2006)

(iii) मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976

(iv) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास अधिनियम,1982 (यथा संशोधित 1984)

(v) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) नियम 2012

(vi) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संशोधन अधिनियम 2012

(vii) मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993

(viii) मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड नियमावली 2006

(ix) मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011

(x) पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम (चेकपोस्ट एवं संगरोग शिविर, निरीक्षण की रीति आदि) नियम 2015

(xi) म.प्र. गौ–भैंसवंश प्रजनन विनियमन अधिनियम 2019

1.12 भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियम व अधिनियम प्रदेश में लागू

1.12.1 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

1.12.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984

1.12.3 पशुओं के संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम 2009

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान व व्यय (योजनावार)

2.1 बजट एवं व्यय(आयोजना+ आयोजनेत्तर)

(राशि ` लाख में)

	वित्तीय वर्ष 2017–18		
क्र.	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	मांग संख्या 14–पशुपालन	99744.69	76677.92
2.	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2655.62	2484.10
3.	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	798.00	798.00
योग		**103198.31**	**79960.02**

2.2 बजट एवं व्यय (आयोजना+ आयोजनेत्तर)

	वित्तीय वर्ष 2018–19		**(राशि ` लाख में)**
क्रं	योजना शीर्ष	प्राावधान	व्यय
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	101102.54	86022.63
2	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2921.35	2262.70
3	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	205.71	185.14
	योग	**104229.60**	**88470.47**

2.3 बजट एवं व्यय (आयोजना+ आयोजनेत्तर)

	वित्तीय वर्ष 2019–20		**(राशि ` लाख में)**
क्रं	योजना शीर्ष	प्रावधान	व्यय
1	मांग संख्या 14–पशुपालन	117256.68	98697.00
2	मांग संख्या 53–त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2925.78	1955.53
3	मांग संख्या 61–बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	273.00	170.67
	योग	**120455.46**	**100823.20**

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 हितग्राही मूलक योजनाएं

राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाएं निम्नानुसार हैं :

3.1.1 आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा रोजगाार के अवसर प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत पशुपालक न्यूनतम 5या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि ` 10 लाख तक होगी। परियोजना लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रुप में करनी होगी। इकाई लागत के 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक व्याज की दर से (अधिकतम राशि ` 25000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5% से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी। मार्जिनमनी सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25%, अधिकतम राशि ` 1.50 लाख तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु परियोजना लागत का 33% , अधिकतम राशि ` 2 लाख।

3.1.2 बड़े पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.2.1 नन्दीशाला योजना

योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय करना है। योजना प्रदेश के सामान्य, आदिवासी, विशेष घटक के लिए है। योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान के आधार पर वर्णित नस्ल गौ–सांड यथा साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव,मालवी,निमाड़ी, केनकथा आदि प्रदाय किए जाते हैं। प्रदेश के बाहर की नस्ल के देशी वर्णित गौ सांड हेतु योजना की इकाई लागत का मूल्य (परिवहन एवं प्रदायित सांड के प्रथम 60दिवस के लिए पशु आहार सहित) राशि ` 25720 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित है। तथा प्रदेश की नस्ल के गौसांड हेतु इकाई लागत राशि `18260 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित है।

3.1.2.2 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना)

योजना का उद्देश्य भैंसों में नस्ल सुधार करना है। ऐसे क्षेत्र जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मुर्रा पाड़े प्रदाय कर भैसों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना प्रगतिशील पशुपालकों, प्रशिक्षित गौसेवक एवं सभी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 45000 है जिसमें सभी वर्गों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान का प्रावधान है।

3.1.3 छोटे पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.3.1 बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई

प्रदेश के सभी जिलों में बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। योजनान्तर्गत 10 बकरी एवं 1 बकरे की इकाई प्रदाय की जाती है। योजना की लागत राशि ` 77456 है। योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान एवं योजना की लागत राशि का 10 प्रतिशत अंशदान व शेष राशि हेतु बैंक ऋण का प्रावधान है।

3.1.3.2 अनुदान पर नर बकरा प्रदाय

अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उददेश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पाद में वृद्धि करना है। यह योजना सभी वर्ग के बकरी पालको के लिए है। योजना की इकाई लागत राशि ` 8300 है जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्चर एवं कृमिनाशक सम्मिलित है। उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग के बकरी पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.1.3.3 अनुदान पर नर सूकर प्रदाय

अनुदान पर नर सूकर योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 5000 है जिसमें केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.4 अनुदान पर सूकर त्रयी प्रदाय

अनुदान पर सूकर त्रयी योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की इकाई लागत राशि ` 15000 है जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.3.5 अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई

अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना का उद्देश्य समस्त वर्ग के गरीब लोगों में पोषण स्तर में सुधार लाने तथा अतिरिक्त आय के स्त्रोत उपलब्ध कराना है। योजना में बिना लिंग भेद वाले 28 दिवसीय 40 लो इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजे, औषधि व परिवहन व्यय सम्मिलित है। इस योजना की इकाई लागत राशि ` 2225 है जिसमें अनुदान 75 प्रतिशत हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत् है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

3.1.3.6 अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय

योजनान्तर्गत समस्त वर्ग के गरीब हितग्राहियों को कुक्कुट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण के साथ–साथ उनका पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से हितग्राहियों को बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे, खाद्यान्न व औषधि, परिवहन व्यय सहित प्रदाय किए जाते है। योजना की इकाई लागत राशि ` 4400 है जिसमें 75 प्रतिशत् अनुदान तथा हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत् है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

3.1.4 वत्सपालन प्रोत्साहन योजना

योजना का उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च अनुवांशिक गुणों वाले वत्सों का सरंक्षण एवं संर्वधन करना है। योजना में ऐसे पशु पालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल की गाय है तथा जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उसका वत्स उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि ` 5,000 एवं उनके वत्सों के संरक्षण हेतु राशि ` 500 प्रतिमाह पशु आहार/औषधी के रूप में 0–4 माह की उम्र से दो वर्षो तक अनुदान के रूप में प्रदाय की जाती है। इस प्रकार योजना की इकाई लागत राशि ` 17000 है इस योजना में नर एवं मादा दोनों प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे।

3.1.5 गौसेवक प्रशिक्षण योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10वीं उत्तीर्ण एक स्थानीय बेरोजगार युवक को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित गौसेवक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं को प्राथमिक उपचार प्रदान कर स्वरोजगार स्थापित करते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि ` 1000 प्रति माह के मान से छः माह हेतु राशि ` 6000 स्टायपेन्ड एवं राशि ` 1200 की किट, इस प्रकार कुल राशि ` 7200 प्रति गौसेवक का प्रावधान है। योजना प्रारम्भ से माह मार्च 2020 तक 23310 गौसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1.6 गोपाल पुरस्कार योजना

गोपाल पुरस्कार योजना अन्तर्गत देशी नस्ल के पशुपालन को बढावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारू पशुओं की प्रतियोगिता आयोजित कर पुरस्कार वितरण हेतु योजना संचालित है। योजना से देशी नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन को प्रोत्साहन, गायों एवं भैंसों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होता है।

3.1.6.1 योजना का स्वरूप

योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय और/या भैंस उपलब्ध हो तथा गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 4 लीटर या उससे अधिक एवं भैंस का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 6 लीटर या उससे अधिक हो। योजना विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर संचालित की जाती है एवं इसमें विकासखण्ड स्तर पर प्रथम,द्वितीय,तृतीय पुरस्कार एवं जिला तथां राज्य स्तर पर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार व 7 सांत्वना पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं। गौवंशीय एवं भैंसवंशीय दुधारु पशुओं की प्रतियोगिताएं पृथक–पृथक आयोजित की जाती हैं एवं पुरस्कार भी पृथक–पृथक होते हैं।

योजना अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	स्तर	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि `) (गौंवंशीय)	पुरस्कार (राशि `) (भैंसवंशीय)
1	विकासखण्ड स्तर	प्रथम पुरस्कार	10,000	10,000
		द्वितीय पुरस्कार	7,500	7,500
		तृतीय पुरस्कार	5,000	5,000
2	जिला स्तर	प्रथम पुरस्कार	50,000	50,000
		द्वितीय पुरस्कार	25,000	25,000
		तृतीय पुरस्कार	15,000	15,000
		सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार)	5,000 (प्रति पुरस्कार)	5,000 (प्रति पुरस्कार)
3	राज्य स्तर	प्रथम पुरस्कार	2,00,000	2,00,000
		द्वितीय पुरस्कार	1,00,000	1,00,000
		तृतीय पुरस्कार	50,000	50,000
		सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार)	10,000 (प्रति पुरस्कार)	10,000 (प्रति पुरस्कार)

3.1.7 आचार्य विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना

3.1.7.1 योजना का उददेश्य

गौसेवा, गौ संरक्षण एवं जीव दया आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु आचार्य श्री विद्या सागर जीव दया (गौसेवा) सम्मान योजना, नवीन योजना के रुप में संचालित की गई है। योजना अन्तर्गत संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं। योजना वर्ष में एक बार क्रियान्वित की जाती है।

3.1.7.2 योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया एवं पुरस्कार वितरण

जिले के उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा योजना के मापदण्ड अनुसार पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों से प्राप्त आवेदन जिला गोपालन एवं पशुधन संर्वधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राप्त आवेदनों में से पात्र संस्थाओं एवं व्यक्तियों का चयन कर समिति द्वारा अनुशंसा कर प्रस्ताव मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड की ओर प्रेषित किए जाते है।

3.1.7.3 मध्यप्रदेश जिला गोपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड की राज्य स्तरीय समिति जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में उत्कृष्ट कार्य करने वालें संस्थानों एवं व्यक्तियों का संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

(अ) संस्थागत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि ` लाख में)
1.	प्रथम पुरस्कार	5.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	3.00
3.	तृतीय पुरस्कार	2.00
4.	सांत्वना पुरस्कार (कुल 4) (` 50000 प्रति)	2.00

(ब) व्यक्तिगत श्रेणी अन्तर्गत पुरस्कार

क्रं	पुरस्कार	पुरस्कार (राशि ` लाख में)
1.	प्रथम पुरस्कार	1.00
2.	द्वितीय पुरस्कार	0.50
3.	तृतीय पुरस्कार	0.20

तालिका 3.1
हितग्राहीमूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` **लाख में)**

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2017–18		2018–19		2019–20	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	742.91	734.90	817.00	768.91	416.73	288.28
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	885.96	825.48	934.06	898.42	392.50	377.58
3	नन्दीशालाा योजना	545.67	526.53	575.04	456.40	126.34	124.15
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	249.46	249.00	254.00	204.18	0.00	0.00
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	514.11	502.11	710.00	709.00	573.49	530.11
6	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	53.62	53.62	56.99	34.05	2.81	2.81
7	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	154.99	154.99	127.01	127.01	272.54	89.96
8	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	86.23	86.23	127.05	127.05	191.40	94.78
9	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	2715.00	2715.00	2650.00	2650.00	1639.69	1607.00

तालिका 3.2
हितग्राहीमूलक कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धि

वर्ष							
क्रं0	योजना का नाम	2017–2018		2018–2019		2019–2020	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	व्यय
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	4369	4316	4770	4523	2434	1695
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	2460	2293	2687	2662	1163	1118
3	नन्दीशालाा योजना	2650	2559	2932	2366	655	643
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	3757	3757	4070	3280	0	0
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय	2102	2040	1880	1825	1495	1378
6	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	768	768	611	341	25	25
7	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	8708	8708	7610	7610	16330	5390
8	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	2450	2450	3850	3850	5850	2872
9	आचार्य विद्या	1600	1600	3100	2850	663	553

	सागर गौसंवर्धन योजना						

3.2 पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

योजनान्तर्गत 2 घटक संचालित हैः

3.2.1 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाता है योजना की इकाई लागत राशि ` 15.50 लाख है। जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 8.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि ` 0.25 लाख, उपकरण हेतु राशि ` 0.50 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.25 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु राशि ` 5.90 लाख प्रावधानित है।

3.2.2 नवीन पशु औषधालय की स्थापना

योजनान्तर्गत पशुपालकों को कम दूरी पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु नवीन पशु औषधालय की स्थापना की जाती है। योजना की इकाई लागत राशि ` 9.12 लाख जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 6.60 लाख, फर्नीचर हेतु राशि ` 0.20 लाख, उपकरण हेतु राशि ` 0.25 लाख, औषधि प्रदाय हेतु राशि ` 0.15 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु राशि ` 1.92 लाख प्रावधानित है।

3.3 पशु संजीवनी 1962

पशुपालकों को घर पहुॅच पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ''पशु संजीवनी 1962'' योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर टॉल फ्री दूरभाष नम्बर ''1962'' के साथ स्थापित किया गया है। प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में कॉल सेन्टर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभागीय अमले द्वारा निश्चित समयावधि में घर पहुॅच पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उपरोक्त सुविधा अन्तर्गत पशुपालकों को कॉल करने पर घर पहुॅच पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं पशुपालन संबंधित उन्नत तकनीकों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

3.4 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला वर्ष 2013 मार्च में प्रारम्भ की गई। राज्य शासन द्वारा आयोजना मद से 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला भदभदा भोपाल की स्थापना हेतु कुल राशि ` 10.00 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य उच्च अनुवांशकीय गुणवत्ता वाली गाय से उसके सम्पूर्ण प्रजनन काल में अधिक से अधिक संतति प्राप्त करना, अधिक उत्पादन वाले पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, केन्द्रीय वीर्य संस्थान के द्वारा गायों की नस्ल सुधार के लिए हिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु उच्च अनुवांशिक क्षमता के साड़ों का उत्पादन, गाय की देशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, प्रजनन की चयन पद्धति से देशी दुधारु गायों की नस्ल साहीवाल एवं गिर नस्ल में उन्नयन कर दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली डोनर गायों को

चयनित कर हारमोन्स की मदद से सुपर ओवूलेट किया जाता है तत्पश्चात उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले सांड़ के हिमीकृत वीर्य द्वारा उसका गर्भाधान कराया जाता है। गर्भाधान के सातवें दिन गर्भाशय से भ्रूण निकाले जाकर रेशीपियंट गायों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं अथवा हिमीकृत कर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। प्रयोगशाला पर वर्ष 2019–20 में 218 भ्रूण संकलित तथा 198 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए तथा 36 वत्सों का उत्पादन हुआ।

3.5 पशु आश्रय स्थल आसरा

निराश्रित पशुओं को उपचार व आश्रय उपलब्ध कराने के उददेश्य से पशु आश्रय स्थल आसरा भोपाल में ''आसरा'' के नाम से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

आसरा के उद्देश्य

(i) घायल बीमार निराश्रित पशु पक्षियों को प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज धूप, गर्म हवा, बरसात से बचा कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था एवं उनके खान–पान तथा उचित उपचार की व्यवस्था जब तक वे पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए।

(ii) घायल पशु–पक्षियों को जंगली एवं हिसंक जानवरों से सुरक्षा कर आश्रय देना।

(iii) उपयोगी बेसहारा पशु पक्षियों को पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरान्त स्वयं सेवा संस्थाओं, इच्छुक पशु पालकों को उनकी स्वेच्छा से रखने की स्थिति में उन तक पहुॅचना जिससे उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके।

(iv) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुपालन में सहयोग करना।

(v) एंटीरेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा सहयोग।

(vi) जागरूकता शिविरों का आयोजन ।

(vii) बड़े पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(viii) पशु–पक्षियों के कल्याण हेतु अन्य ऐसे सभी कार्यो को जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

(ix) पशु आश्रय स्थल की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना।

(x) छोटे पशु (श्वानों) के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम प्रोत्साहित करना साथ ही नगर निगम के सहयोग से श्वानों की नसबंदी एवं एंटीरैबीज का टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि क्षेत्र को रैबीज रोग से मुक्त रखा जा सके।

3.6 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 3नवम्बर 2009 को जबलपुर में की गई थी।इस विश्वविद्यालय अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू एवं रीवा आते हैं। कुक्कुट प्रक्षेत्र जबलपुर एवं वृषभ पालन केन्द्र आमानाला जबलपुर जो कि पहले पशुपालन विभाग के अन्तर्गत आते थे उन्हे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किया गया है। विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीनों महाविद्यालयों में बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातक डिग्री प्रदाय की जाती है तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर एवं महू में एम.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011–12 से विश्वविद्यालय द्वारा जबलपुर महू, रीवा, भोपाल में तथा मुरैना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

3.7 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

3.7.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Live Stock Mission)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं 7 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) बनाया गया है। भारत शासन द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2–47/2009–/FF, दिनांक 06.06.2014 के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आवश्यक समितियों का गठन, गतिविधि क्रियान्वयन एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

(i) कुक्कुट को सम्मिलित करते हुए पशुधन क्षेत्र का समग्र एवं स्थाई विकास।

(ii) भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार खाद्य,चारा बीज की मांग एवं पूर्ति के अन्तर में कमी करना, चारा उत्पादन का रकबा बढ़ाना, विस्तार कार्य एवं कटाई के बाद का प्रबन्धन करना तथा चारे की विविध जलवायु क्षेत्रों के अनुरुप प्रोसेसिंग करना।

(iii) कृषकों की सक्रिय भागीदारी (कृषक सहकारिता, बीज निगम, एवं निजी क्षेत्र के उद्यमी को सम्मिलित करते हुए) प्रभावी चारा उत्पादन श्रृंखला के द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं चारा बीज उत्पादन बढ़ाना।

(iv) स्थाई एवं समग्र पशुधन विकास के लिए चल रही योजनाओं एवं उसके विभिन्न साझेदारों के बीच समन्वय एवं सहयोगिता बढ़ाना।

(v) पशु पोषण एवं पशु उत्पादन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(vi) पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए शासकीय कर्मचारियों एवं कृषकों को प्रशिक्षित करना।

(vii) पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने एवं उत्पादन लागत कम करने के लिए कौशल संवर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकि का कृषकों तक विस्तार करना।

(viii) कृषक तथा कृषक समूह सहकारिता द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं जेनेटिक उन्नयन के पहल को बढ़ावा देना। (बोवाइन को छोड़कर)

(ix) स्माल एवं मार्जिनल कृषकों एवं कृषकों व कृषक समूह तथा सहकारिता/ उत्पादन कम्पनियों के निर्माण को बढ़ावा देना।

(X) पशुधन क्षेत्र से संबंधित मौलिक पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना एवं सफल पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार करना।

(Xi) कृषक के उद्यम की मार्केंटिग, प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि के लिए अधोसंरचना एवं रुप–रेखा तैयार करना।

(Xii) जोखिम प्रबंधन के उपायों को बढावा देने के साथ कृषकों को पशुधन बीमा की सुविधा देना।

(Xiii) पशुओ में बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना,खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता के प्रयासों को बढ़ावा देना। पशु शव का समय पर उपयोग करते हुए उत्तम गुणवत्ता का चमड़ा उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देना।

(Xiv) पशुपालन गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, नस्ल संरक्षण में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना एवं राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए रूप–रेखा तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन को चार उप–मिशन की

गतिविधियों के अनुसार संचालित किया जा रहा है–

1. उप–मिशन – पशुधन विकास
2. उप–मिशन – पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूकर विकास
3. उप–मिशन – पशु खाद्य एवं चारा विकास
4. उप–मिशन – दक्षता संवर्धन, तकनीकि हस्तानांतरण एवं विस्तार

3.7.1.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010–11 से मध्यप्रदेश में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2016–17 से यह योजना 60 प्रतिशत् केन्द्रांश व 40 प्रतिशत् राज्यांश पर संचालित की जा रही है। योजना की इकाई लागत् राशि ` 3,750 है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नॉलोजी वाले 45 पक्षी दो चरणों में क्रमशः 25 व 20 चूजे 16 सप्ताह के अन्तराल से मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दढ़बा बनाने हेतु राशि `1,500 दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे हितग्राही के खाते में जमा किए जाते हैं।

एक मदर यूनिट से 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते है मदर यूनिट के हितग्राही को राशि ` 60,000 अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों की राशि ` 50 प्रति चूजा का भुगतान उनके द्वारा चूजे बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रदाय उपरान्त जिले के उप संचालक द्वारा किया जाता है।

3.7.1.2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन – अभिनव कुक्कुट उत्पादकता योजना

यह योजना वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा गरीब तथा मध्यम किसानों को कुक्कुट पालन की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना के साथ ब्रायलर पालन तथा लो–इनपुट टेक्नॉलोजी के पक्षियों की बड़ी इकाई को शामिल किया गया है जिससे किसान लगातार कुक्कुट पालन करते हुए इसे आजीविका का साधन बना सके साथ ही आगामी वर्षो में यह उद्यमिता का रूप ले सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुक्कुट के दो मॉडल प्रस्तावित किए है जो निम्नानुसार है :

- 400 लो–इनपुट पक्षियों बाला मॉडल जिसमें 400 पक्षी 2 बैच में (200 प्रति बैच) 1.5 वर्ष के अन्तराल से प्रदाय किए जाएंगे।
- 600 ब्रायलर पक्षियों वाला मॉडल जिसमें 600 ब्रायलर पक्षी 4 बैच में (150 प्रति बैच) 3 माह के अन्तराल से प्रदाय किए जाएंगे।

योजना का उद्देश्य

- राज्य में कुक्कुट उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना।
- कुक्कुट पालन को व्यवसाय के रुप में विकसित कर आजीविका का साधन बनाना।
- हाउसहोल्ड अण्डा उत्पादन बढ़ाना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- हितग्राही को अतिरिक्त आय के साथ–साथ पोषण आहार उपलब्ध कराना।

दोनों ही मॉडल समूह में (clusture approach) किए जाएंगे जिससे इस उद्योग को सामाजिक रूप से करने में भी मदद् मिलेगी। बायोसिक्योरिटी को दृष्टिगत रखते हुए दोनों

मॉडल एक ही स्थान पर करना वर्जित है। योजना में backward and forward linkages जैसे समय पर हितग्राही को चूजे प्रदाय करना, स्वास्थ्य सेवा/टीकाकरण तथा विपणन इत्यादि की व्यवस्था किसी एजेन्सी /इन्टीग्रेटर इत्यादि से करवाने की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग की होगी। प्रदेश में लो–इनपुट पक्षियों की बड़ी इकाई हेतु वर्ष 2017–18 में 400 हितग्राहियों के लिए 60 प्रतिशत केन्द्रांश, 20 प्रतिशत राज्यांश तथा 20प्रतिशत हितग्राही अंश के आधार पर राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

योजना अन्तर्गत चयनित हितग्राहियों को बिना लिंग भेद वाले 4 सप्ताह के लो–इनपुट टेक्नॉलोजी के 400 पक्षी दो चरणों में 1.5 वर्ष के अन्तराल से जिले में ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना अन्तर्गत पूर्व से चयनित मदर यूनिट से प्रदाय किए जाएंगे। साथ ही 200 पक्षियों के लिए कुक्कुट शेड बनाने हेतु राशि ` 15000 दिए जाने का प्रावधान है। चूजे हितग्राहियों को प्राप्त होने के उपरान्त मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों का ` 50 प्रति चूजा भुगतान जिले के उपसंचालक द्वारा 7 से 10 दिवस में किया जाएगा।

हितग्राही चूजों को पाल कर, बड़ा करके नर पक्षियों को बेच देगा तथा मादा पक्षियों को लगातार 1 वर्ष तक पाल कर अंडे प्राप्त कर आय अर्जित करेगा। मादा पक्षियों में अंडों का उत्पादन बंद हो जाने पर हितग्राही मादा पक्षियों को विक्रय कर आय प्राप्त करेगा। 1.5 वर्ष के पश्चात हितग्राही को पूर्व की भांति द्वितीय किश्त मदर यूनिट से प्रदाय की जाएगी जिसे वह निर्धारित अवधि तक पालकर कुक्कुट मांस व अंडों से आय प्राप्त करेगा। इसके पश्चात हितग्राही स्वंय मदर यूनिट से चूजे क्रय कर कुक्कुट पालन करते हुए इसे अजीविका का साधन बना कर लगातार करता रहेगा।

तालिका 3.3

राष्ट्रीय पशुधन मिशन –ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास तथा अभिनव कुक्कुट उत्पादकता योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` **लाख में)**

		वर्ष					
क्रं	योजना का नाम	2017–18		2018–19		2019–20	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	393.14	393.14	920.14	162.00	758.14	567.14
2	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – अभिनव कुक्कुट उत्पादकता योजना	60.00	00.00	–	60.00	–	–

तालिका 3.4

राष्ट्रीय पशुधन मिशन –ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास तथा अभिनव कुक्कुट उत्पादकता योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धि

(राशि ` **लाख में)**

		वर्ष					
क्रं0	योजना का नाम	2017–2018		2018–2019		2019–120	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति

1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	9985	9985	40800	7200	33600	25206
2	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – अभिनव कुक्कुट उत्पादकता योजना	400	–	–	400	–	–

नोट–वर्ष 2019–20 में राशि आहरण ना हो पाने के कारण उपलब्धि कम रही।

3.7.1.3 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू/गैर–दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना का कियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार वर्ष 2014–15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) में शामिल किया है जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोडा, गधा, ऊंट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11168, वर्ष 2015–16 में 37486, वर्ष 2016–17 में 59113, वर्ष 2017–18 में 38219, वर्ष 2018–19 में 52908 एवं वर्ष माह मार्च 2020 तक 55450 पशुओं का बीमा किया गया है।

3.7.2 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

यह योजना केन्द्रांश व राज्यांश के 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजनान्तर्गत एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अण्डा, ऊन व मांस जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आंकलन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुधन उत्पाद का आंकलन ऋतुवार तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

3.7.3 पशुधन स्वास्थ्य

केन्द्र व राज्य शासन के कमशः 60:40 के अनुपात में वित्तीय प्रबन्ध के आधार पर यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण पशुधन व कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान, पशु रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं के सुदृढ़ीकरण, पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों व पैरावेट को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान आदि रहता है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

3.7.3.1 पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता
3.7.3.2 व्यवसायिक दक्षता कार्यक्रम
3.7.3.3 पशु चिकित्सालयों एव औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण
3.7.3.4 पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम
3.7.3.5 मातामहामारी के सर्वेक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
3.7.3.6 एन.ए.डी.आर.एस.

3.7.4 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत शासन की 100 प्रतिशत सहायता से चलाए जा रहे है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ.एम.डी. एवं ब्रूसेला नियंत्रण हेतु शत्–प्रतिशत् पशुओं का टीकाकरण किया जाता है साथ ही इन सभी पशुओं में Ear Tag आवश्यक रूप से लगाए जा रहे हैं।

3.7.4.1 एफ.एम.डी. नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.4.2 ब्रूसेला नियंत्रण कार्यक्रम

3.7.5 पशु संगणना

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में 20वीं पशु संगणना भारत सरकार के निर्देशन में सम्पन्न की गई एवं भारत सरकार द्वारा 20वीं पशु संगणना के अनन्तिम आंकड़े अधिसूचित किए गए।

20वी पशु संगणना रहवासीवार/गैर रहवासीवार तथा नस्लवार पशुधन एवं कुक्कुट तथा पशुपालन क्षेत्र के उपयोग में लाए जाने वाले कृषि उपकरण व मत्स्यपालन सांख्यिकी की गणना की गई है।

3.7.6 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत 6 जिलों क्रमशः सागर, दमोह, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, दतिया सम्मिलित किए गए हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पशुपालको को लाभान्वित एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम जैसे कार्यो को लिया गया है। भारत सरकार से प्रथम चरण में ए.सी.ए. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) घटक में राशि ` 80.70 करोड़ विभाग को प्राप्त हुए हैं जिसका शत–प्रतिशत उपयोग किया गया है।

इसी प्रकार बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में विभाग हेतु राशि ` 80 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर विमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत द्वितीय चरण की पूर्ण राशि ` 80.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

तालिका 3.5
बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

प्रथम चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	उपलब्धि प्रतिशत
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी–			
	डेयरी सोसाइटी का गठन	500	561	
	बल्क मिल्क कूलर	9	14	100
	डेयरी प्लांट का सुदृढ़ीकरण	1	1	
	सदस्यता	15000	17664	
	दुग्ध संकलन किग्रा/दिन	25000	28042	
2	मुर्रा सांड प्रदाय	2403	2403	100
3	बकरी इकाई प्रदाय	5296	5296	100
4	फॉडर बैंक की स्थापना	3	3	100

5	मिनौरा जिला टीकमगढ में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना	1	1	100
6	एन.जी.ओ के माध्यम से पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना	111	111	100
7	म.प्र.राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पशु आहार संयंत्र की स्थापना तथा दुग्ध उत्पाद के विपणन कार्य	1	संयंत्र संचालित	100

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

द्वितीय चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी(प्रथम चरण में गठित समितियों का सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण) समिति सचिव टैस्टर पशु स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण 138कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में गर्भाधान चैफ कटर वितरण स्वास्थ्य शिविर डेयरी प्लांट का सुद्ढ़ीकरण	 561 561 138 206831 3320 840 1	गतिविधि पूर्ण
2	रतौना जिला सागर में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना	1	संयंत्र स्थापित, तरल नत्रजन उत्पादन एवं वितरण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6 जिलों में किया जा रहा है।
3.	रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	1	पूर्ण
4.	मुर्रा नर वत्स संगोपन इकाई की स्थापना(रतौना जिला सागर,मिनौरा जिला टीकमगढ़ एवं दतिया में)	2283	2283 संगोपित मुर्रा नर प्रदाय, रतौना एवं मिनौरा में निर्माण कार्य पूर्ण, शेष कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित।
5.	ट्रेविस एवं शेड की स्थापना (1000पंचायतों में)	825 पूर्ण	शेष 175 पंचायतों में कार्य निर्माणाधीन
6.	दतिया जिले में सीमेन स्टेशन की स्थापना	निर्माणाधीन	कार्य पूर्ण
7.	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	16504 हेक्टेयर	16504 हेक्टेयर में चारा उत्पादन कार्यक्रम

3.7.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

तालिका 3.6

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विगत तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति

(राशि ` करोड में)

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20
एस.एल.एस.सी. द्वारा स्वीकृत	114.52	97.75	111.54
पशुपालन विभाग को विमुक्त राशि	43.83	72.86	87.12
व्यय	43.83	72.86	34.59
शेष	**0.00**	**0.00**	**52.53**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

3.7.7.1 जबलपुर में स्व–चलित पनीर संयंत्र की स्थापना

परियोजना की कुल लागत राशि ` 975.86 लाख है, परियोजनान्तर्गत सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। जबलपुर में 10 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का स्व–चलित पनीर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका सिविल वर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मशीन प्रदाय हेतु क्रय आदेश जारी किए जा चुके है। संयंत्र स्थापना का कार्य सितम्बर 2020 तक पूर्ण होना संभावित है।

3.7.7.2 ग्वालियर में स्व–चलित दही निर्माण संयंत्र की स्थापना

परियोजना की कुल लागत राशि ` 190.00 लाख है, परियोजनान्तर्गत सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन 100 ग्राम के 10000 कप निर्मित किउ जा सकते है। संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण होकर उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है।

3.7.7.3 ग्वालियर में स्थापित बॉयलर तथा दुग्ध चूर्ण संयंत्र का उन्नयन

परियोजना की कुल लागत राशि ` 643.55 लाख है, परियोजनान्तर्गत सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके अन्तर्गत बॉयलर उन्नयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। दुग्ध चूर्ण संयंत्र के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

3.7.7.4 सागर में 20000 लीटर दूध प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र का उन्नयन कर 1.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन किया जाना

परियोजना की कुल लागत राशि ` 2361.00 लाख है, परियोजनान्तर्गत सागर में वर्तमान में स्थापित 20000 लीटर दूध प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र में वृद्धि करते हुए इसे 1.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन किया जाना है। साथ ही ऑटोमेशन कार्य भी होना है। उक्त कार्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तकनीकी आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजनान्तर्गत राशि ` 932.15 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

3.7.7.5 दुग्ध संघों में स्थित 1000 दुग्ध सहकारी समितियों में ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना

परियोजना की कुल लागत राशि ` 1930.00 लाख है। परियोजनान्तर्गत 1000 दुग्ध सहकारी समितियों में Automatic Milk Collection Units की स्थापना की जा रही है। इसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों द्वारा समिति में प्रदायित दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता की जानकारी मशीन के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। साफ्टवेयर के माध्यम से उन्हे एसएमएस भी प्राप्त हो सकेगा तथा उपरोक्त जानकारी पोर्टल पर संधारित की जा सकेगी। वर्तमान में परियोजनान्तर्गत राशि ` 425.77 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

3.7.7.6 प्रदेश में कम उत्पादक गौवंश के लिए डेयरी की स्थापना में सहायता

प्रदेश के समस्त जिलों में कम उत्पादक गौवंश के लिए 1000 डेयरियों की स्थापना के ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त डेयरियों में पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबबेल, चैफ कटर एवं पानी की टंकी की व्यवस्था हेतु कुल ` 1847.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। योजना के तहत् विमुक्त की गई राशि के आधार पर ` 904.012 लाख मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को उपलब्ध कराए गए है। बोर्ड द्वारा राशि संबंधित पंचायतों को कार्य संपन्न कराने हेतु उपलब्ध कराई गई है।

3.7.7.7 प्रदेश में कम उत्पादक गौवंश के लिए स्थापित डेयरियों में सोलर एनर्जी से ऊर्जीकरण

प्रदेश के समस्त जिलों में कम उत्पादक गौवंश के लिए 1000 डेयरियों की स्थापना के ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त डेयरियों में से 700 डेयरियों में सोलर एनर्जी से ऊर्जीकरण हेतु कुल राशि ` 2200.00 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत कराया गया है।

3.7.7.8 प्रदेश में 1500 मैत्री की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में प्रदेश में मैत्री (ग्रामीण बहुउददेशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) स्थापित करने की योजना स्वीकृत की गई है। योजना अन्तर्गत कुल 1500 मैत्री प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत् कुल राशि ` 2010.00 लाख स्वीकृत है एवं विमुक्त राशि के आधार पर राशि ` 413.697 लाख कार्यकारी एजेन्सी मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को उपलब्ध कराए जा चुके है। प्रत्येक मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान

प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 04 माह (1 माह का सैद्धान्तिक एवं 3 माह का मैदानी स्तर पर प्रायोगिक) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राशि ` 4000/–प्रति माह की दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा तथा प्रशिक्षण उपरान्त राशि ` 60000/–की निःशुल्क ए.आई. किट (ट्रेविस सहित) उपलब्ध कराई जाती है। मैत्रियों की स्थापना का मुख्य उददेश्य नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को गति प्रदान करना है। योजना अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं का रोजगार प्राप्त होता है। प्रशिक्षित मैत्रियों को कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारंभ करने पर प्रथम वर्ष में राशि ` 1500/–प्रति माह, द्वितीय वर्ष में राशि ` 1200/–प्रतिमाह तथा तृतीय वर्ष में ` 800/– प्रति माह की दर से टेपरिंग ग्राटं का भुगतान किया जाता है। प्रदेश में अभी तक 1469 मैत्रियो को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 1500 मैत्रियों को प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

3.7.7.9 प्रदेश के 46 जिलों के सभी गौ–भैंसवंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं की मास डिवार्मिंग

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश में गौ–भैंसवंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं में मांस डिवार्मिंग की परियोजना स्वीकृत की गई है। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के 46 जिलों में 101 लाख गौ–भैंसवंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं में दो बार मांस डिवार्मिंग की जाना है। योजना के तहत् कुल राशि ` 2475.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं एवं विमुक्त राशि के आधार पर राशि ` 2012.072 लाख कार्यकारी एजेन्सी मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पशुओं में 10 से 15 प्रतिशत मृत्यु दर में कमी आएगी तथा दुधारू पशुओं में 10 प्रतिशत से अधिक दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। पशुओं में विशेषकर खुरपका एवं मुंहपका रोग के पहले टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। मांस डिवार्मिंग करने के फलस्वरूप गौ–भैंसवंशीय मादा पशुओं की प्रजनन क्षमता में वृद्धि होगी।

3.7.7.10 बुल मदर फार्म, भदभदा भोपाल की अधोसंरचना का सुदृढीकरण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में बुल मदर फार्म पर स्थापित आधुनिक डेयरी इकाई के सुदृढीकरण हेतु परियोजना स्वीकृत की गई हैं। योजना के तहत् कुल राशि ` 130.00 लाख स्वीकृत है एवं विमुक्त राशि के आधार पर राशि ` 130.00 लाख कार्यकारी एजेन्सी मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत आधुनिक तरीके से नवजात वत्सों के रख–रखाव व प्रबंधन हेतु कॉफ सेट का निर्माण, दाना एवं भूसा–चारा, भंडारण हेतु भूसा–दाना भंडार का निर्माण कराया जा रहा है। कॉफ सेट का निर्माण होने से वैज्ञानिक तरीके से नवजात वत्सों का रख–रखाव एवं प्रबंधन किया जा सकेगा। जिसके फलस्वरूप वत्सों की मृत्युदर कम होगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी।

भाग – चार

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र

4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

पशुओं के नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सॉड/ पाड़े उपलब्ध करना।

तालिका 4.1
शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)	वर्ष 1976–77	जर्सी, साहीवाल, जर्सी साहीवालक्रास	294	152
2	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनोरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1972	हरियाणा	290	350
3	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आगर (शाजापुर)	वर्ष 1942	मालवी, मुर्रा	454	1150
4	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रोड़िया (खरगोन)	वर्ष 1979	निमाड़ी	201	103
5	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र इमलीखेड़ा (छिन्दवाड़ा)	वर्ष 1954–55	साहीवाल, जर्सी साहीवाल क्रास	454	112
6	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी (बालाघाट)	वर्ष 1917	साहीवाल, संकर जर्सी	369	1080
7	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पवई (पन्ना)	वर्ष 2010	केनकाठा	124	995

4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

उन्नत नस्ल के मेढे तैयार कर भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को प्रदाय कर स्थानीय भेड़ की नस्ल में सुधार लाना।

तालिका 4.2
शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)

1	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी (मंदसौर)	वर्ष 1954	मेरीनों चोकला संकर	32	163
2	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी)	वर्ष 1975	रेम्बूलेट क्रास, जमुनापारी क्रास	204	197
3	शास. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1958	रेम्बूलेट एवं कॉरीडेल	336	355

4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

जमनापारी नस्ल की बकरियों का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों/ पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

तालिका 4.3

शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर)	वर्ष 1980	बरबरी, जमुनापारी	502	312
2	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 2013	जमुनापारी	552	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा की भूमि पर स्थापित
3	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र चिनकी उमरिया (नरसिंहपुर)	वर्ष 2019	सिरोही	131	54
4	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी (बड़वानी)	शास0 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी में जमुनापारी नस्ल के बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र को स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।			

4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उद्देश्य

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर लो इनपुट टेक्नोलॉजी वाले पक्षियों का संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना प्रक्षेत्र का उद्देश्य है साथ ही कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ में मध्य प्रदेश का गौरव कहलाने वाले कड़कनाथ नस्ल के पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ–साथ विभागीय कड़कनाथ प्रदाय योजना अन्तर्गत चूजा प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य है।

तालिका 4.4

शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी वर्ष 2019–20			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल उपलब्ध मादा पेरेन्ट पक्षी (मार्च तक)	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. कुक्कुट प्रक्षेत्र अनुसंधान हताईखेड़ा, भोपाल	वर्ष 1968–69	चाब्रो कड़कनाथ आर.आई.आर. रंगीन ब्रायलर नर्मदा निधि जापानी बटेर	415 3546 2399 129 1288 2096	11
2	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर	वर्ष 1963–64	कड़कनाथ	1061	13
3	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र ग्वालियर	वर्ष 1986–87	चाब्रो कड़कनाथ आर0आई0आर0	1600 855 845	3
4	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र गुना	वर्ष 1988–89	आर0आई0आर0	2617	7
5	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सागर	वर्ष 1986–87	आर0आई0आर0	2974	10
6	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र रीवा	वर्ष 1964–65	आर0आई0आर0	2275	5
7	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र छिन्दवाड़ा	वर्ष 1965–66	वन राजा ग्राम प्रिया	185 193	12
8	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र शहडोल	वर्ष 1960–61	आर0आई0आर0	2685	6
9	शास. कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र झाबुआ	वर्ष 1978–79	कड़कनाथ	2266	6
कुल				**27429**	**73**

भाग–5
सामान्य प्रशासनिक जानकारी
तालिका 5.1
विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या
(माह मार्च 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी / पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	संचालक	1	1
2	अपर संचालक	2	–
3	संयुक्त संचालक	21	8
4	उप संचालक / सिविल सर्जन पशु चिकित्सा / पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	207	97
5	उप संचाालक(रिसर्च)	1	–
6	सहायक संचालक / पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ / पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	1671	1422
7	सहायक संचालक सॉख्यिकीय / सांख्यिकीय अधिकारी	17	6
8	क्षेत्रीय अधिकारी (सॉख्यिकीय)	1	–
9	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	4	0
10	प्रशासनिक अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा अधिकारी	3	1
11	जन संचार दृश्य श्रव्य अधि0	1	–
12	खाघ विश्लेषक	1	–
13	उप यंत्री	3	3
14	मुख्य मानचित्रकार	1	1
15	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	48	23
16	विपणन निरीक्षक	5	1
17	सहा0पशु चिकि0 क्षेत्र अधि0, प0चि0क्षेत्र अधि0, वरिष्ठ प0चि0क्षेत्र अधि0, पशुधन क्षेत्र अधि0	5795	3354
18	प्रगति सहायक / संगणक	110	84
19	प्रगणक	72	60
20	प्रयोगशाला सहायक / तकनीशियन	132	82
21	क्षेत्र सहायक	40	18
22	प्लांट आपरेटर	11	8
23	दुग्ध अभिलेखक	17	7
24	प्रोजेक्ट आपरेटर	18	18
25	प्रोजेक्ट आपरेटर कनिष्ठ	5	5

26	विद्युतकार मैकेनिक	7	5
27	पट्टी बंधक वर्ग–1	15	8
28	लिपिक वर्गीय	849	598
29	वाहन चालक	167	109
30	चतुर्थ श्रेणी	2919	2673

तालिका 5.2

विभागीय नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

(माह मार्च 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पद श्रेणी	नियुक्तियॉं	पदोन्नतियॉं
1	प्रथम श्रेणी	–	–
2	द्वितीय श्रेणी	137	–
3	तृतीय श्रेणी	–	86

तालिका 5.3

विभागीय जॉच सम्बन्धी जानकारी

(माह मार्च 2020 की स्थिति में)

कं0	श्रेणी	जॉच प्रकरणों की संख्या	निराकृत जॉच प्रकरण	लंबित जॉच प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	11	02	09
2	द्वितीय श्रेणी	24	11	17
3	तृतीय श्रेणी	12	–	12
4	चतुर्थ श्रेणी	–	–	–

तालिका 5.4

विभाग के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

(माह मार्च 2020 की स्थिति में)

क्र0	पद श्रेणी	माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित/खारिज	निराकृत	पालन हेतु शेष	माननीय न्यायालय में कुल विचाराधीन प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	–	04	–	–
2	द्वितीयश्रेणी	12	12	03	05
3	तृतीय श्रेणी	21	35	11	09

4	चतुर्थ श्रेणी	03	14	03	07
	योग	**36**	**65**	**17**	**21**

तालिका 5.5

स्थानान्तरण
विभाग द्वारा किये गये स्थानांतरणों की जानकारी
(माह मार्च 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी / पदनाम	स्थानांतरण की संख्या	संशोधन संख्या	निरस्त की संख्या
(प्रथम श्रेणी)				
1	संयुक्त संचालक	03	01	—
2	उप संचालक / सिविल सर्जन / पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	26	01	01
(द्वितीय श्रेणी)				
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	203	17	02
2	सहायक संचालक सांख्यकीय	—	—	—
(तृतीय श्रेणी)				
1	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	424	20	12
2	लिपिक वर्गीय	53	—	03

भाग–छः

विभागीय उपलब्धियां

6.1 महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियॉ

- प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाओं का निर्माण।
- गौशालाओं के साथ–साथ समस्त 1000 ग्राम पंचायतों में 5 एकड़ चारागाह विकसित किए जा रहे हैं, जिनके निर्माण से प्रदेश में लगभग 5000 एकड़ के चारागाह विकसित होंगे।
- गौशाला के गौवंश को दिए जाने वाले चारे–भूसे के अनुदान की राशि को ` 3 से बढ़ाकर ` 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 8.14 प्रतिशत् रही जबकि राष्ट्र की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 6.47 प्रतिशत् थी।
- वर्ष 2018–19 में दुग्ध उत्पादन 14713 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 15911 हजार मेट्रिक टन हुआ है। वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 505 ग्राम से बढ़कर 538 ग्राम हो गई है जो कि राष्ट्रीय औसत 394 ग्राम से अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में अण्डा उत्पादन 19422 लाख से बढ़कर 21432 लाख हुआ है। वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्ति वार्षिक अण्डा उपलब्धता 24 अण्डा से बढ़कर 26 अण्डा वार्षिक हो गया है।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उन्नत नस्ल के नर एवं मादा उत्पादित करने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी नवीन तकनीक का उपयोग प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2019–20 में 218 भ्रूण संकलित किए गए तथा 198 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए।
- भारत सरकार की एन.पी.बी.बी परियोजनान्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (भारत सरकार से) राशि ` 83.90 करोड़ स्वीकृत कराई गई जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। भारत सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश की इस योजना प्रस्ताव (DPR) को मॉडल बनाते हुए अन्य राज्यों को भेजकर इसी प्रकार से परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया तथा परियोजनान्तर्गत प्राप्त पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है।
- भारत सरकार की नेशनल प्रोग्राम फार डेयरी डेव्हलपमेंट योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में राशि ` 1320 लाख की परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके अन्तर्गत दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु एमपीसीडीएफ में राशि ` 800 लाख की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।
- वर्ष 2019–20 में 08.59 लाख किलोग्राम प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलित किया गया।
- वर्ष 2019–20 में दुग्ध उत्पादकों को राशि ` 1295 करोड़ का भुगतान किया गया।
- वर्ष 2019–20 में 7.48 लाख लीटर प्रतिदिन औसत पैकेट दुग्ध विक्रय किया गया।
- वर्ष 2019–20 टेबल बटर विक्रय 32 मे.टन है जो कि गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार मट्ठा विक्रय 17 प्रतिशत, एवं पनीर विक्रय 19 प्रतिशत, मावा विक्रय 43 प्रतिशत, मिल्क केक विक्रय 5 प्रतिशत, ठंडाई विक्रय 16 प्रतिशत तथा लाईट लस्सी विक्रय 1067 प्रतिशत अधिक है।

- दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से पशु आहार विक्रय करने हेतु पूर्ण प्रयास किए गए तथा समितियों के माध्यम से 102674 मेट्रिक टन पशु आहार विक्रय किया गया ।
- पशु आहार संयंत्र पचामा तथा मांगलिया में 100 प्रतिशत् से अधिक उत्पादन क्षमता अर्जित की गई। प्रथम बार निजी वितरकों के माध्यम से 6 हजार मेट्रिक टन से अधिक पशु आहार विक्रय किया गया।
- ग्वालियर में राशि ` 190 लाख की लागत से 10000 कप प्रतिदिन क्षमता का स्व–चलित दही निर्माण संयंत्र प्रारम्भ किया गया है।
- सेंधवा में राशि ` 450 लाख की लागत से 20000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित किया गया है
- इन्दौर में राशि ` 400 लाख की लागत से आइस्क्रीम संयंत्र की स्थापना की गई।
- जबलपुर में राशि ` 975.86 लाख की लागत से स्व–चलित पनीर निर्माण संयंत्र की स्थापना प्रगति पर है जिसके सितम्बर 2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।

भाग–सात

विभाग के अंतर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियॉं

7.1 म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना अधिनियम 37 (1982) के अन्तर्गत 19 नवम्बर 1982 को निगम के कामकाज, पशु उत्पादन (दूध तथा दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) तथा कुक्कुट उत्पादों के संग्रहण, पालन पोषण और विपणन करने एवं पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करने के उद्देश्य से हुई जिससे कि राज्य के पशुधन का विकास हो सके और उसमें वृद्वि हो सके।

तालिका 7.1
मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा कियान्वित प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियां वर्ष 2019–20

क.	विवरण	वर्ष					
		2017–2018		2018–2019		2019–20	
		भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख राशि ` में)
1.	उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय(बैल जोड़ी भी सम्मिलित)	215	121.80	650	422.28	370	102.62
2.	नस्लसुधार (गौवंश / भैंसवंश / बकरा / सूकर)	7333	1606.73	4592	1283.04	4181	1116.35
3.	पशु आहार का उत्पादन(में.टन में) (गौ–भैंसवंश / बकरा एवं पक्षी)	2972.350	475.41	2373.350	375.38	3459.20	649.31
4.	तरल नत्रजन का विक्रय(लाख लीटर में)	12.76	368.78	12.87	406.05	13.11	498.23
5.	फ्रोजन सीमन का उत्पादन (लाख स्ट्रा)	28.00	448.00	25.35	536.00	30.65	704.05
6.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (राष्ट्रीय गौ–भैंसवंशीय, पशु प्रजनन कार्यक्रम) (NPBB -2014-15)	कृ.ग.सांड क्रय 60, रिपलेसमेंट अन्तर्गत 197कृ.ग. उपकरण अन्तर्गत , 574तरल नत्रजन पात्र। तरल नत्रजन परिवहन का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत OMR-2नग BA-35-200नग TA-55-200 नग J12-100	690.73	कृ. ग. कार्यकर्ताओं का रिफरेशर प्रशिक्षण कृषकों के ओरियन्टेशन कार्यक्रम 548नग BA-3 कय 6000लीटर क्षमता का तरल नत्रजन परिवहन टैंकर का कय OMR-1 नग	309.27	BA2X-1000नग 1.5 Ltr -500नग TA55-100 नग BA35-100 नग BA20-100 नग तरल नत्रजन पात्रों का जिलों को प्रदाय कृ.ग. शीथ 1850000 ग्लब्स 1600000 कृ.ग.गन 6000 थवाइंग यूनिट 1000 केस्ट्रेटर 1000	394.63

		नग					
7.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृषि कल्याण अभियान प्रथम द्वितीय तृतीय	—	—	कृत्रिम गर्भाधान 60000 240000 207440	223.08 69.50 257.20 222.83	—	—
8.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत नेशनवाइड कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)	—	—	—	—	510542	1046.305
9	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज (फैज 2) पेडीग्रीड मुर्रा सांड प्रदाय	660	250.80	572	223.08	194	75.66
10	रिस्क मैनेजमेन्ट एण्ड इन्श्योरेन्स (पशुधन बीमा योजना)	38219	283.80	52908	378.43	55450	409.18
11	दुग्ध उत्पादन एवं विक्रय, कीरतपुर (लाख लीटर)	150.00	67.96	0.99	47.92	1.53	73.03
12.	कीरतपुर (इटारसी) में मुर्रा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना	.62 वत्स उत्पादित	22.94	76 वत्स उत्पादित	30.40	119 वत्स उत्पादित	17.83
13	भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	144 भ्रूण संकलित किए एवं 165 प्रत्यारोपण, 75 वत्सों का उत्पादन	—	127 भ्रूण संकलित किए एवं 143 प्रत्यारोपण, 62 वत्सों का उत्पादन	150.14	218 भ्रूण संकलित किए एवं 198 प्रत्यारोपण, 36 वत्सों का उत्पादन	171.83
14	कीरतपुर(इटारसी)में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर की स्थापना	निर्माण एवं अधोसंरचना कार्य करना एवं कुल 87 पशु क्रय	1331.43	कृषि एवं कार्यालयीन उपकरण तथा 64 पशुआकें का क्रय	1168.57	6 पशु शेड एव 5 शेडों काजीर्णोद्धार प्रवेश द्वार,, एपरोच रोड,,सुरक्षा कक्ष, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कायपूर्ण, तथा 134 पशुओं का क्रय।	—
15	दतिया में सीमन स्टेशन की स्थापना	–	—	निर्माण कार्य पूर्ण (ओव्हर हेड टैंक कार्य शेष)	262.88	कर्य पूर्ण।	342.86
16	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान रतौना (सागर)	–	—	निर्माणा कार्य पूर्ण	402.40	निर्माण कार्य पूर्ण	98.00
17	राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना, सागर में गोकुल ग्राम की स्थापना	—	500.00	—	—	गोकुल ग्राम की अधोसंरचना एवं विकास का कार्य प्रगति पर 282 पशु क्रय	627.42

18	टर्न ओवर	–	6009.38	–	6282.37		6327.30

7.2 एम. पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां संचालित करने के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित (वर्तमान में एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.) की स्थापना की गई। इसी के साथ आणंद प्रणाली पर त्रि–स्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन प्रारम्भ हुआ। इसके अन्तर्गत प्रथम स्तर पर ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां, द्वितीय स्तर पर सहकारी दुग्ध संघ एवं राज्य स्तर पर एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) कार्यरत हैं।

7.2.1 त्रिस्तरीय सहकारी डेयरी संरचना निम्नानुसार है–

त्रिस्तरीय सहकारी डेयरी संरचना

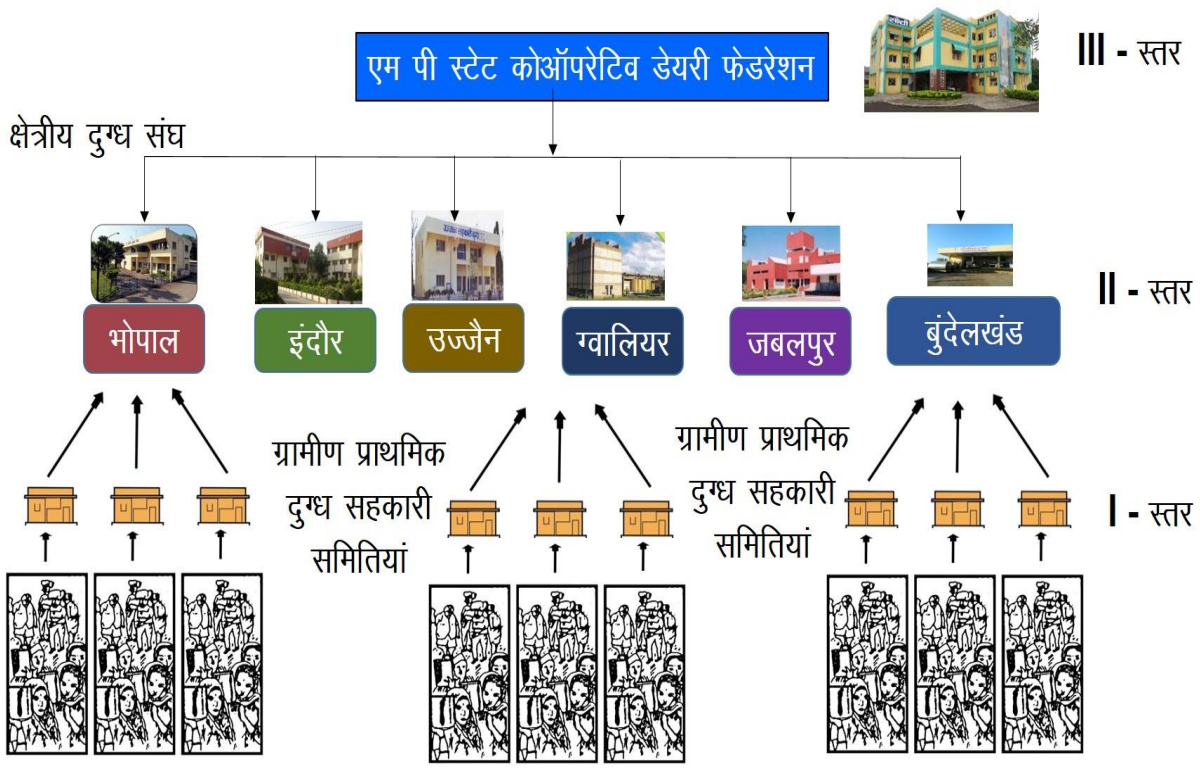

7.2.2 दुग्ध संघवार जिलों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

क्र.	दुग्ध संघ	सम्मिलित जिले
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ	भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, एवं जिला शाजापुर (शुजालपुर, कालापीपल तहसील) का कुछ क्षेत्र
2	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ	इन्दौर, देवास, खरगौन, धार, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन (उज्जैन तहसील का कुछ क्षेत्र)
3	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर मालवा, धार (बदनावर तहसील) व देवास का कुछ क्षेत्र
4	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ	जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रींवा, सतना, मण्डला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट
5	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया
6	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर	सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी

तालिका 7.2

सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत पॉच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क्र.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	8385	9437	9463	9151	10090
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6315	6612	6737	6498	7811
3	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	248717	256150	264653	257418	268087
4	दुग्ध संकलन किलोग्राम/ प्रतिदिन	1029138	889611	1102657	1010888	858527
5	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	703452	741032	766195	740271	747751
6	पशु आहार विक्रय (मेट्रिक टन)	116714	110541	98021	104310	102674
7	कृत्रिम गर्भाधान(संख्या)	508362	556633	622604	601450	600174
8	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (राशि ` करोड. में)	1057.16	954.94	1288.81	1100.30	1294.44
9	विक्रय प्राप्तियां (राशि ` करोड. में)	1739.51	1718.64	1689.64	1905.17	1884.23

7.3 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

7.3.1 बोर्ड की संरचना

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दिंनाक 08–10–2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित किया गया है। बोर्ड के कृत्यो के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक कार्यपरिषद तथा जिला स्तर पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पशुपालन, सदस्य कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास,

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास, प्रमुख सचिव पशुपालन, संचालक पशुपालन, प्रबन्ध संचालक ऊर्जा विकास निगम, संचालक कृषि, प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, प्रबन्ध संचालक राज्य कृषि कल्याण विपणन बोर्ड हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होते हैंः

(अ) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का ''दूसरा'' उपाध्यक्ष होगा।

(ब) गौपालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले 7 अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम दो पंजीकृत गौशाला के संचालक होना अनिवार्य है।

7.3.2 जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्– कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पदेन सचिव, उप संचालक कृषि कल्याण सदस्य, प्रबंधक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम सदस्य, आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य, जिला पंचायत के कृषि समिति का अध्यक्ष सदस्य, सचिव, कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय का) सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य है। अशासकीय सदस्य निम्नानुसार होते हैंः

(अ) चार अशासकीय सदस्य, जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौपालन एवम् पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवम् दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी–बारी से एक वर्ष का होगा।

(ब) जिला कलेक्टर, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(स) संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन सचिव होगा।

7.3.3 नवीन गौशालाओं का पंजीयन

गौशालाओं के नवीन पंजीयन हेतु आवेदन जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर बोर्ड के सदस्यों तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पश्चात् मापदंड अनुरुप पाए जाने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

7.3.4 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अन्तर्गत निर्मित गौशालाओं की जानकारी

प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है जिनका संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक गौशाला में 100 गौवंश रखा जा सकेगा जिसमें 1 लाख निराश्रित गौवंश को आश्रय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ का चारागाह निर्मित किया जाएगा जिससे प्रदेश में 5000 एकड़ नवीन चारागाह निर्मित होंगे। गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के चारे भूसे हेतु राशि की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा की जाएगी। ग्राम पंचायत यदि गौशाला का संचालन किसी संस्था के माध्यम से कराना

चाहे, तो वह आजीविका मिशन की महिला स्वसहायता समूह व स्वयंसेवी संस्था से अनुबंध कर सकती है।

वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा गौशालाओं को वितरित अनुदान

चारे भूसे हेतु वर्ष 2019–20 में जारी राशि का विवरण–

क्रं	विवरण	गौशालाओं की संख्या	प्रदाय राशि (` करोड़ में)
1	पूर्व से संचालित गौशालाओं हेतु	627	59.78
2	मनरेगा अन्तर्गत निर्माणाधीन गौशालाओं हेतु	974	11.69
	योग	1601	71.47

7.3.5 ''गौशाला उन्मुखीकरण कार्यशाला ''

''मुख्यमंत्री गौसेवा योजना'' अन्तर्गत निर्माणाधीन गौशालाओं के संचालन व स्वावलंबन हेतु एक दिवसीय 'गौशाला उन्मुखीकरण कार्यशाला'' संचालनालय पशुपालन विभाग कामधेनू भवन, भोपाल के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री गौसेवा योजना में स्थापित गौशालाओं के स्वसहायता समूहों द्वारा संचालन की स्थिति में गौशाला को गाय पर आधारित रोजगार गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु पशुपालन विभाग, कृषि विभाग एवं आजीविका मिशन के अमले को जिला स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में गौशाला एवं चारागाह प्रबन्धन, वित्त प्रवाह आदि अन्य प्रक्रियाओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

7.3.6 गौ–अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र, सुसनेर, जिला आगर

गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र गाम सालरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर में 472.63 हैक्टेयर में स्थापित किया गया है जिसमें,

- निराश्रित, दान में पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त गौवंश के आवास तथा भरपूर आहार की सुनिश्तिता, उनके निर्भय व स्वतन्त्र विचरण के लिए, प्राकृतिक और स्वाभाविक वातावरण का निर्माण किया गया है।
- गौवंश को कृषि, ग्रामोद्योग, पर्यावरण व अर्थ से जोड़ने हेतु पंचगव्य के एकत्रीकरण, प्रबन्धन व विपणन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
- भारतीय नस्लों के संरक्षण, चारागाह विकास, जैविक, बैल व नन्दी का वितरण इत्यादि कार्य किया जाएगा।

7.3.7 गौशालाओं में गोबर से लकड़ी एवं गमले बनाने की मशीनों हेतु आर्थिक सहायता

गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की 101 गौशालाओं को गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन तथा 100 गौशालाओं को गोबर से गमले बनाने के लिए आर्थिक सहायता जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।

7.3.8 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संशोधन

- गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध है।

- गौवंश वध अथवा गौवंश अवैध परिवहन के मामले में अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम कारावास का सीमा बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है।
- अधिनियम के तहद् पकड़े जाने पर सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।
- गौवंश अवैध परिवहन के मामले में उपयोग किए गए वाहन को जप्त किया जा सकता है।

7.3.9 प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की स्थिति

तालिका 7.3

प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की जानकारी

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	जिले में कुल पंजीकृत गौशालाएं (पूर्व से संचालित 627 +मनरेगा योजनान्तर्गत 358	985
2	वर्मी पिट (गौशालाओं की संख्या)	160
3	गोबर गैस प्लान्ट (गौशालाओं की संख्या)	109
4	नापेड (गौशालाओ की संख्या)	234
5	गोबर लकड़ी बनाने का कार्य करने वाली गौशालाओं की संख्या	105
6	जैविक खाद निर्माण गौशालाओं की संख्या	220
7	गौमूत्र औषधि निर्माण गौशालाओं की संख्या)	45

7.4 पशु रोगी कल्याण समिति

राज्य के सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों का गठन निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है:–

(i) क्षेत्र के पशुओं के उपचार की व्यवस्था करना।

(ii) पशुपालन की सुविधा उपलब्ध कराना।

(iii) अर्न्तवासी रोगी पशुपालकों को चिकित्सालय में ठहरने की व्यवस्था करना।

(iv) पशु चिकित्सा भवनों में सुधार करना।

(v) राज्य गौ संवर्धन बोर्ड की अनुमति से अनुदान प्राप्त गौशालाओं की देखभाल/पर्यवेक्षण करना।

(vi) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना।

(vii) पशु पक्षियों के कल्याण के कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(viii) पालतू जानवरों का टीकाकरण तथा उपचार करना।

(ix) रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार एवं सहयोग करना।

(x) पशु चिकित्सा एवं उन्नत प्रजनन से संबंधित अन्य कार्य।

जिला पशु कल्याण समितियों में कलेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष,उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सदस्य व पदेन सचिव एवं जिला स्तर के पशु चिकित्सालय का प्रभारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ सदस्य उप सचिव सहित 11 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति में जिले के निर्वाचित दो विधायक भी सदस्य होते हैं।

7.5 पशु क्रूरता निवारण समितिः–

प्रदेश के 51 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। जिले में पशु क्रूरता निवारण से संबंधित कार्य समिति के द्वारा किया जाता है।

7.6 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्

मध्यप्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के अन्तर्गत की गई। राज्य पशु चिकित्सा परिषद का उददेश्य पशु चिकित्सा स्नातकों का पंजीकरण करना तथा पशु चिकित्सा सेवाओं का नियमन करना है।

7.6.1 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में निम्नानुसार सदस्य होते हैं–

मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993 के अन्तर्गत नियम 7 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की संरचना निम्नानुसार होती है :–

क्र	सदस्यों का प्रकार	सदस्यों की संख्या	चयन का प्रकार
1	म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा परिषद के आई.व्ही. पी.आर. में दर्ज पशु चिकित्सकों में से	04	निर्वाचन
2	राज्य शासन द्वारा नामांकित	03	नामांकित
3	राज्य पशु चिकित्सक संघ द्वारा नामांकित	01	नामांकित
4	पशु चिकित्सक संस्थानों के प्रमुख	02	पदेन
5	संचालक पशुपालन मध्यप्रदेश	01	पदेन
6	रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा परिषद	01	पदेन

7.6.2 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में वर्तमान में 3884 पशु चिकित्सक पंजीकृत हैं।

भाग–आठ

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश में 19वीं पंचवर्षीय पशु संगणना 2012 के जिलेवार पशुधन के ऑकड़े :–

क्र0	जिला	गौवंशीय पशु			भैंसवंशीय पशु	भेड़ा–भेंड़ी	बकरा–बकरी	सूकर	घोड़े–घोड़ी	खच्चर	गधे	ऊँट	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
		संकर नस्ल	देशी नस्ल	योग										
1	अलीराजपुर	431	440049	440480	57493	1940	310263	146	26	0	381	0	**810729**	**665104**
2	अनुपपुर	7572	339929	347501	62058	185	64172	3010	1098	0	35	12	**478071**	**98572**
3	अशोकनगर	11382	230187	241569	120889	2658	86420	965	114	0	63	0	**452678**	**22901**
4	बालाघाट	10871	565912	576783	141034	3	225972	5386	748	399	9	9	**950343**	**248804**
5	बड़वानी	599	399640	400239	110663	2661	306715	796	55	0	715	0	**821844**	**703619**
6	बैतूल	22908	503145	526053	120395	1703	145214	1052	405	182	229	1	**795234**	**183493**
7	भिण्ड	7530	102030	109560	219145	5808	95660	5146	264	49	332	5	**435969**	**9234**
8	भोपाल	20658	89434	110092	83655	65	39155	945	66	0	181	0	**234159**	**990653**
9	बुरहानपुर	2125	129372	131497	36211	49251	77342	531	1755	0	506	0	**297093**	**104865**
10	छतरपुर	3095	340818	343913	239206	4553	254774	6761	257	358	138	0	**849960**	**80794**
11	छिंदवाड़ा	23080	675987	699067	136696	56	273070	1799	1032	29	239	0	**1111988**	**361116**
12	दमोह	4868	553977	558845	106723	3627	121823	5418	246	0	50	0	**796732**	**45833**
13	दतिया	630	106555	107185	150324	3858	99841	2082	127	109	357	0	**363883**	**15046**
14	देवास	30259	314631	344890	236555	668	165742	740	84	25	177	1	**748882**	**147955**
15	धार	58107	565306	623413	200419	2165	435624	530	2040	2050	386	3	**1266630**	**643012**
16	डिंडोरी	506	375053	375559	43204	73	65329	5212	916	1	353	87	**490734**	**136170**
17	खण्डवा	1510	344854	346364	121184	169	130576	1137	672	837	83	0	**601022**	**76441**
18	गुना	14824	352976	367800	222426	706	129993	3415	94	18	615	52	**725119**	**46725**
19	ग्वालियर	5723	182221	187944	226089	15211	164062	2407	107	45	466	164	**596495**	**49930**
20	हरदा	2469	139240	141709	72850	1416	45989	208	45	2	8	0	**262227**	**27717**
21	होशंगाबाद	20369	319633	340002	112526	61	80059	2396	254	5	284	2	**535589**	**159154**
22	इन्दौर	81455	96129	177584	155290	629	96272	4	715	776	81	0	**431351**	**141223**
23	जबलपुर	27922	337423	365345	95324	1170	104280	4832	118	1	20	0	**571090**	**3401896**
24	झाबुआ	17409	391764	409173	102807	3024	266435	0	39	1	253	0	**781732**	**468308**
25	कटनी	3497	431864	435361	51866	1522	92760	3409	59	18	10	5	**585010**	**18252**
26	मंडला	7603	386045	393648	54641	132	77995	3842	274	447	39	0	**531018**	**122671**

27	मंदसौर	51231	245841	297072	224443	10181	182244	4267	927	13	584	1280	**721011**	**33308**
28	मुरैना	12715	129199	141914	623861	14758	164010	8618	461	232	2295	237	**956386**	**49539**
29	नरसिंहपुर	38080	283033	321113	127230	744	106612	2825	256	20	555	1	**559356**	**53835**
30	नीमच	21422	226366	247788	138044	8930	145131	1258	425	0	176	590	**542342**	**28843**
31	पन्ना	1408	413407	414815	141895	4011	125289	6477	353	236	327	0	**693403**	**53448**
32	रायसेन	12936	417270	430206	118116	850	90778	1010	277	4	322	1	**641564**	**101297**
33	राजगढ़	13223	478634	491857	510774	857	188593	2719	188	18	643	19	**1195668**	**53531**
34	रतलाम	30443	292175	322618	172635	3245	200927	1384	792	502	194	8	**702305**	**208028**
35	रींवा	41391	872814	914205	170806	24120	198629	15103	145	73	81	0	**1323162**	**65982**
36	सागर	8073	794747	802820	213711	1327	140628	5837	450	39	45	5	**1164862**	**102375**
37	सतना	23956	829593	853549	196178	15178	252606	9412	288	128	122	0	**1327461**	**60120**
38	सीहोर	51522	205100	256622	133069	175	67971	686	54	9	91	2	**458679**	**48077**
39	सिवनी	21376	491310	512686	124943	45	172503	3709	145	3	20	0	**814054**	**363750**
40	शहडोल	6131	500752	506883	86900	5842	104921	5062	249	33	23	0	**709913**	**158809**
41	शाजापुर	29690	306744	336434	292145	321	199970	3299	244	2	499	438	**833352**	**194857**
42	श्योपुर	560	244573	245133	144961	7261	123704	3314	55	1	640	132	**525201**	**29146**
43	शिवपुरी	16691	527805	544496	370247	47405	304748	9080	178	7	412	3	**1276576**	**136059**
44	सींधी	14314	433067	447381	94039	8803	190999	12776	35	42	23	0	**754098**	**280298**
45	सिंगरौली	2850	542021	544871	80167	7306	231458	3119	3	0	0	0	**866924**	**203665**
46	टीकमगढ़	6407	360563	366970	232231	38850	223571	5995	385	13	180	0	**868195**	**180077**
47	उज्जैन	33558	238866	272424	309821	724	205774	2248	614	49	761	356	**792771**	**143792**
48	उमरिया	974	337852	338826	46335	2877	68981	1000	26	0	10	0	**458055**	**63770**
49	विदिशा	13026	351331	364357	152480	511	80598	2411	353	213	518	0	**601441**	**28053**
50	खरगौन	1598	524152	525750	203285	1318	287754	1475	290	0	385	9	**1020266**	**294569**
योग		**840977**	**18761389**	**19602366**	**8187989**	**308953**	**8013936**	**175253**	**18803**	**6989**	**14916**	**3422**	**36332627**	**11904716**

परिशिष्ट–दो

20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुधन ऑकड़ों में देश की तुलना में म0प्र0 की हिस्सेदारी

क्रं0	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	भारत की तुलना में म0प्र0 का प्रतिशत
1.	गौवंशीय			
(अ)	संकर नस्ल पशु	51356405	1694975	**3.30**
(ब)	देशी नस्ल पशु	142106466	17055853	**12.00**
	कुल गौवंशीय पशु	**193462871**	**18750828**	**9.69**
2.	भैंस वंशीय पशु	109851678	10307131	**9.38**
3.	भेड़ा–भेंड़ी	74260615	324585	**0 .44**
4.	बकरा–बकरी	148884786	11064524	**7.43**
5.	सूकर	9055488	164616	**1.82**
6.	घोड़े–टट्टू	342226	13260	**3.87**
8.	खच्चर	84261	2543	**3.02**
9.	गधे	123587	8135	**6.58**
10.	ऊॅट	251956	1753	**0.70**
कुल पशुधन		**536761343**	**40637375**	**7.57**
11.	कुल कुक्कुट	851809931	16659898	**1.96**

'स्त्रोतः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुस्तिका अनुसार

देश में राज्यों के पशु उत्पाद अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन (वर्ष 2018–19) की स्थिति

कं0	प्रदेश	दूध उत्पादन (000मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000में.टन में)	ऊन उत्पादन (000कि.ग्रामें)
1	आन्ध्र प्रदेश	15044.37	197545.20	780.61	797.12
2	तेलंगाना	5416.13	136868.43	754.06	4263.51
3	बिहार	9818.10	12771.01	364.85	312.38
4	छत्तीसगढ़	1566.88	18927.41	60.88	81.95
5	गोवा	57.17	327.42	7.92	0.00
6	गुजरात	14492.77	18543.80	33.33	2270.51
7	हरियाणा	10726.09	60576.96	511.99	718.50
8	हिमांचल प्रदेश	1460.15	1007.00	4.60	1503.14
9	जम्मू एवं कश्मीर	2540.11	2348.84	91.61	7629.28
10	झारखण्ड	2183.05	6378.56	62.39	198.59
11	कर्नाटक	7900.63	59994.19	253.60	3057.92
12	केरल	2548.28	22905.99	457.41	0.00
13	मध्यप्रदेश	15911.13	21431.92	97.37	410.17
14	महाराष्ट्र	11655.46	59648.73	1020.60	1456.93
15	उड़ीसा	2311.07	23452.68	201.82	0.00
16	पंजाब	12598.82	55908.73	231.32	524.85
17	राजस्थान	23668.07	16615.63	191.66	14521.84
18	तमिलनाडु	8361.68	188422.24	633.80	2.28
19	उत्तर प्रदेश	30518.91	26050.01	1227.09	1315.97
20	उत्तराखण्ड	1792.37	4531.83	29.18	551.98
21	पश्चिम बंगाल	5606.82	85998.78	831.28	760.43
22	अरुणाचल प्रदेश	55.10	594.64	21.87	42.63
23	असम	882.27	5014.61	50.40	0.00
24	मणिपुर	85.75	1053.24	28.05	0.00
25	मेघालय	86.61	1090.36	45.25	0.00
26	मिजोरम	25.75	415.19	16.11	0.00
27	नागालैण्ड	72.57	374.74	32.28	0.00
28	सिक्किम	60.85	54.56	3.72	0.00
29	त्रिपुरा	185.27	2759.56	47.82	0.00
30	अण्डमान निकोवार	18.15	1139.17	5.43	0.00
31	चण्डीगढ़	45.23	164.26	0.95	0.00
32	दादर व नगरहवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन एण्ड ड्यू	1.01	5.09	0.18	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्ष्यद्वीप	3.66	141.78	0.42	0.00
36	पुडूचेरी	49.20	113.73	14.63	0.00
योग		**187749.46**	**1033176.31**	**8114.45**	**40420.00**

भारत सरकार कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी अनुभाग

जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन की जानकारी (वर्ष 2018–19)

क्रं	जिले का नाम	दूध उत्पादन (000 मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000मेंटन में)	ऊन उत्पादन (000किग्रा में)
1	जबलपुर	432.79	6698.52	10.38	0.24
2	कटनी	204.42	44.65	1.85	1.04
3	मंडला	119.81	168.03	0.79	0.05
4	डिडोरी	84.62	137.36	0.60	0
5	नरसिंहपुर	195.82	31.67	0.88	0.71
6	छिंदवाड़ा	261.52	616.20	2.23	0
7	बालाघाट	192.92	350.37	1.09	0.002
8	सिवनी	198.11	241.42	2.51	0
9	सागर	449.07	352.02	2.11	.038
10	दमोह	266.83	100.26	0.98	3.81
11	पन्ना	256.16	45.41	0.78	5.91
12	टीकमगढ़	438.09	116.69	2.26	64.14
13	छतरपुर	421.93	77.65	0.95	4.25
14	रींवा	492.18	56.70	1.62	20.05
15	सींधी	198.73	185.94	1.17	12.69
16	सिंगरौली	235.41	224.60	1.05	6.08
17	सतना	459.12	88.46	1.30	12.49
18	शहडोल	149.88	153.56	0.73	4.47
19	अनुपपुर	81.51	78.62	0.76	0
20	उमरिया	98.09	61.62	0.56	4.16
21	इन्दौर	604.14	198.14	8.33	0
22	धार	416.11	520.74	1.42	0.88
23	झाबुआ	152.11	530.58	0.64	4.44
24	अलीराजपुर	118.45	405.20	0.65	2.23
25	खरगौन	342.44	413.82	1.39	1.78
26	बड़वानी	204.30	591.85	1.13	2.20
27	खण्डवा	239.59	99.44	2.10	0.05

28	बुरहानपुर	71.32	73.02	0.97	78.74
29	उज्जैन	698.05	130.33	1.47	0.04
30	मंदसौर	455.23	61.34	0.93	16.03
31	नीमच	243.02	23.16	0.71	12.45
32	रतलाम	303.20	136.31	2.60	4.60
33	देवास	500.21	223.21	5.58	0.29
34	शाजापुर	460.48	618.12	2.43	0
35	ग्वालियर	468.01	134.73	1.03	23.60
36	मुरैना	741.12	36.37	0.84	21.26
37	श्योपुर	296.93	27.14	0.52	7.58
38	भिण्ड	445.97	20.68	0.65	4.66
39	शिवपुरी	583.96	107.31	1.21	80.41
40	गुना	324.83	67.32	0.85	0.30
41	अशोकनगर	192.19	28.93	0.57	1.35
42	दतिया	286.88	18.34	0.58	5.52
43	भोपाल	298.15	4053.36	12.85	0
44	सीहोर	468.47	133.66	2.30	0
45	रायसेन	269.19	143.26	2.25	0
46	विदिशा	350.65	56.11	3.37	0.02
47	बैतूल	304.15	284.83	1.04	1.24
48	राजगढ़	450.62	555.75	3.14	0.05
49	होशंगाबाद	258.72	70.48	0.72	0
50	हरदा	125.65	56.68	0.50	0
	योग	**15911.13**	**21431.92**	**97.37**	**410.17**

प्रजनन योग्य गौ–भैंस की जानकारी

19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रजनन योग्य मादाओं की जानकारी						
क्रं	जिला	संकर गाय	देशी गाय	योग	भैंस वंश	कुल प्रजनन योग्य गौ–भैंस वंश
1	अलीराजपुर	124	64409	**64533**	29532	**94065**
2	अनुपपुर	3011	79849	**82860**	16870	**99730**
3	अशोकनगर	4830	114498	**119328**	64124	**183452**
4	बालाघाट	3588	145701	**149289**	49073	**198362**
5	बड़वानी	296	112620	**112916**	60139	**173055**
6	बैतूल	10661	123578	**134239**	61944	**196183**
7	भिण्ड	4147	48105	**52252**	108154	**160406**
8	भोपाल	10880	44632	**55512**	48275	**103787**
9	बुरहानपुर	1169	36461	**37630**	20626	**58256**
10	छतरपुर	1194	121927	**123121**	120322	**243443**
11	छिंदवाड़ा	9761	186116	**195877**	67810	**263687**
12	दमोह	1815	224838	**226653**	54368	**281021**
13	दतिया	300	43524	**43824**	80226	**124050**
14	देवास	16171	110599	**126770**	131507	**258277**
15	धार	28952	187548	**216500**	110689	**327189**
16	डिण्डोरी	165	81736	**81901**	15741	**97642**
17	खण्डवा	536	99803	**100339**	66621	**166960**
18	गुना	5940	142573	**148513**	106704	**255217**
19	ग्वालियर	3050	104358	**107408**	129124	**236532**
20	हरदा	1188	48157	**49345**	38823	**88168**
21	होशंगाबाद	9127	133146	**142273**	57166	**199439**
22	इन्दौर	44411	43558	**87969**	93664	**181633**
23	जबलपुर	13625	130049	**143674**	54513	**198187**
24	झाबुआ	7271	101771	**109042**	52153	**161195**
25	कटनी	1041	135123	**136164**	23248	**159412**

26	मंडला	2522	95499	**98021**	16436	**114457**
27	मंदसौर	26836	106393	**133229**	120153	**253382**
28	मुरैना	6779	60591	**67370**	320390	**387760**
29	नरसिंहपुर	17704	109875	**127579**	65753	**193332**
30	नीमच	11451	97574	**109025**	71338	**180363**
31	पन्ना	356	152010	**152366**	72306	**224672**
32	रायसेन	6715	181122	**187837**	63384	**251221**
33	राजगढ़	6316	164591	**170907**	232480	**403387**
34	रतलाम	16128	107582	**123710**	92360	**216070**
35	रींवा	19315	312914	**332229**	82524	**414753**
36	सागर	3756	360566	**364322**	111268	**475590**
37	सतना	9846	328558	**338404**	94767	**433171**
38	सीहोर	28203	77548	**105751**	70884	**176635**
39	सिवनी	9238	128513	**137751**	59923	**197674**
40	शहडोल	2881	122041	**124922**	28735	**153657**
41	शाजापुर	15172	121356	**136528**	154906	**291434**
42	श्योपुर	259	111441	**111700**	72965	**184665**
43	शिवपुरी	7852	189301	**197153**	189757	**386910**
44	सींधी	6138	125337	**131475**	42582	**174057**
45	सिंगरौली	1242	145569	**146811**	38012	**184823**
46	टीकमगढ़	2356	125659	**128015**	118584	**246599**
47	उज्जैन	17204	101982	**119186**	166980	**286166**
48	उमरिया	403	88431	**88834**	19731	**108565**
49	विदिशा	6708	176220	**182928**	83848	**266776**
50	खरगौन	809	152558	**153367**	121632	**274999**
योग		409442	6407910	**6817352**	4173114	**10990466**

परिशिष्ठ–छः

मध्यप्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रति संस्थावार पशुधन की स्थिति (2019–20 की स्थिति में)

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
1	भोपाल	15	7	22	234159	10644
2	सीहोर	19	25	44	458679	10425
3	रायसेन	16	33	49	641564	13093
4	राजगढ़	20	40	60	1195668	19928
5	विदिशा	14	39	53	601441	11348
6	बैतूल	27	54	81	795234	9818
7	होशंगाबाद	16	33	49	535589	10930
8	हरदा	8	13	21	262227	12487
9	इन्दौर	18	24	42	431351	10270
10	धार	30	52	82	1266630	15447
11	झाबुआ	14	25	39	781732	20044
12	अलीराजपुर	13	19	32	810729	25335
13	खरगौन	38	34	72	1020266	14170
14	बड़वानी	25	23	48	821844	17122
15	खण्डवा	21	21	42	601022	14310
16	बुरहानपुर	8	15	23	297093	12917
17	उज्जैन	26	21	47	792771	16867
18	देवास	20	25	45	748882	16642
19	शाजापुर	17	17	34	833352	24510
20	रतलाम	21	38	59	702305	11903
21	मंदसौर	24	17	41	721011	17586
22	नीमच	17	16	33	542342	16435
23	ग्वालियर	22	20	42	596495	14202
24	शिवपुरी	29	47	76	1276576	16797
25	दतिया	12	25	37	363883	9835
26	मुरैना	24	23	47	956386	20349
27	श्योपुरकला	11	22	33	525201	15915
28	भिण्ड	21	28	49	435969	8897
29	गुना	15	41	56	725119	12949
30	अशोकनगर	11	24	35	452678	12934
31	सागर	41	42	83	1164862	14034
32	दमोह	29	23	52	796732	15322

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
33	छतरपुर	34	39	73	849960	11643
34	टीकमगढ़	26	42	68	868195	12958
35	पन्ना	26	32	58	693403	11955
36	जबलपुर	31	28	59	571090	9679
37	कटनी	13	29	42	585010	14269
38	नरसिंहपुर	14	33	47	559356	11901
39	सिवनी	18	53	71	814054	11629
40	छिंदवाड़ा	26	74	100	1111988	11120
41	बालाघाट	27	48	75	950343	12671
42	मण्डला	25	31	56	531018	9482
43	डिण्डोरी	12	23	35	490734	14021
44	रींवा	41	56	97	1323162	13502
45	सतना	28	61	89	1327461	15915
46	सींधी	24	41	65	754098	11602
47	सिंगरौली	15	21	36	866924	24081
48	शहडोल	23	35	58	709913	12240
49	उमरिया	13	16	29	458055	15795
50	अनुपपुर	15	26	41	478071	11660
51	आगर	10	9	19		
	योग	**1063**	**1583**	**2646**	**36332627**	**13721**